SBE-30/2024

पश्चिम मध्य रेल
West Central Railway

महाप्रबंधक कार्यालय / **GM's Office**
कार्मिक विभाग / **Personnel Deptt.**
जबलपुर /**Jabalpur.Pin-482001**

पत्र क्रं. पमरे/का-मुख्या/501/आई.आर/सीक्रेट बैलेट इलेक्शन - 2024 दिनांक 22.10.2024

सर्वसंबंधित - पश्चिम मध्य रेल,

विषयः-भारतीय रेल में ट्रेड यूनियनो के सत्यापन/मान्यता के लिए गुप्त मतपत्र चुनाव।
संदर्भः- रेल्वे बोर्ड का पत्र सं. 2024/एसबीईसी - III/इलेक्शन्स दिनांक 21.10.2024

-----000-----

रेल्वे बोर्ड ने अपने पत्र दिनांक 09.09.2024 में ट्रेड यूनियनो के सत्यापन/मान्यता के लिए गुप्त मतपत्र चुनाव से संबंधित फाईनल मॉडिलिटीज अंग्रेजी संस्करण में जारी की थी जिसे पश्चिम मध्य रेल्वे पर एस.बी.ई - 06/2024 दिनांक 10.09.2024 के तहत परिपत्रित किया गया था।

अब रेल्वे बोर्ड नें अपने संदर्भित पत्र के तहत इसका हिन्दी अनुवाद जारी किया है जो अवलोकन एवं अनुपालन हेतु परिपत्रित किया जा रहा है।

संलग्नः- यथोक्त

(संजय कुमार)
पीठासीन अधिकारी व उप मुख्य कार्मिक अधि. (औ.सं.)
पश्चिम मध्य रेल जबलपुर

प्रतिलिपिः- सभी विभागाध्यक्ष - पमरे, मंडल रेल प्रबंधक - जबलपुर, भोपाल एवं कोटा पीठासीन अधिकारी एवं सहायक पीठासीन अधिकारी - जबलपुर, भोपाल व कोटा मंडल, सडिपुका - भोपाल एवं मडिमका - कोटा।

कृते रिटर्निंग अधिकारी व प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी
पश्चिम मध्य रेल जबलपुर

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय /MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. 2024/एसबीईसी-III/इलेक्शन्स **दिनांकः 21-10-2024**

महाप्रबंधक
सभी क्षेत्रीय रेलें (ओपन लाइन)
मेट्रो रेलवे, कोलकाता
उत्पादन इकाइयां (चितरंजन रेलइंजन कारखाना एवं रेल डिब्बा कारखाना)

विषयः भारतीय रेल में ट्रेड यूनियनों के सत्यापन/मान्यता के लिए गुप्त मतपत्र चुनाव।

संदर्भः (1) रेलवे बोर्ड का दिनांक 28-08-2024 का पत्र संख्या 2023/एसबीईसी-III/पॉलिसी /1 के साथ संलग्न बोर्ड का दिनांक 17-11-2023 का पत्र संख्या ईआरबी-1/2023/23/60 तथा अन्य।

(2) एसबीईसी का दिनांक 30-08-2024 का पत्र संख्या 2024/ईआरबी-III/इलेक्शन्स।

(3) एसबीईसी का दिनांक 09-09-2024 का पत्र संख्या 2024/ईआरबी-III/इलेक्शन्स।

*****

भारतीय रेल में ट्रेड यूनियनों के सत्यापन/ मान्यता के लिए गुप्त मतपत्र चुनाव से संबंधित कार्य-रीतियों को जिसे संदर्भ (3) द्वारा प्रेषित किया जा चुका है, उसका हिन्दी अनुवाद इस पत्र के अन्तर्गत प्रेषित किया जा रहा है। इन अनुवादित कार्यरीतियों में यदि दिनांक 09-09-2024 के भेजे गये कार्यरीतियों से भिन्नता पायी जाती है तो, दिनांक 09-09-2024 को जारी कार्यरीतियों के अंग्रेजी संस्करण को सही माना जाये।

21/x/24

(राजीव गांधी)
कार्यपालक निदेशक स्था./रेल भर्ती बोर्ड एवं संयोजक
गुप्त मतपत्र चुनाव समिति-III
ईमेल-sbec@rb.railnet.gov.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार/**GOVERNMENT OF INDIA**

रेल मंत्रालय/**MINISTRY OF RAILWAYS**

(रेलवे बोर्ड/**RAILWAY BOARD)**

सं.2024/एसबीईसी-III/इलेक्शन्स दिनांक: 09.09.2024

महाप्रबंधक
सभी क्षेत्रीय रेलें (ओपन लाइन)
मेट्रो रेलवे, कोलकाता
उत्पादन इकाइयां (चितरंजन रेलइंजन कारखाना एवं रेल डिब्बा कारखाना)

विषय: भारतीय रेल में ट्रेड यूनियनों के सत्यापन/मान्यता के लिए गुप्त मतपत्र चुनाव।

संदर्भः (i) रेलवे बोर्ड का दिनांक 28.08.2024 का पत्र संख्या 2023/एसबीईसी-III/पॉलिसी/1 के साथ संलग्न बोर्ड का दिनांक 17.11.2023 का पत्र संख्या ईआरबी-1/2023/23/60 तथा अन्य।

(ii) एसबीईसी का दिनांक 30.08.2024 का पत्र संख्या 2024/एसबीईसी-III/इलेक्शन्स।

****

उपर्युक्त के संबंध में आगामी गुप्त मतपत्र चुनाव के लिए कार्य-रीतियां तैयार करने के उद्देश्य से सभी हितधारकों के विचार और सुझाव आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर एसबीईसी द्वारा (क) पंजीकृत ट्रेड यूनियनों, (ख) मान्यता प्राप्त फेडरेशनों, (ग) रेल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और फील्ड कर्मचारियों और (घ) रेलवे बोर्ड के संबंधित प्राधिकारियों से विचार-विमर्श किया गया था। अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य-रीतियों का भी अध्ययन किया गया। उपरोक्त के आधार पर, एसबीईसी ने भारतीय रेल पर तीसरे गुप्त मतपत्र चुनाव कराने के लिए इन 'अंतिम कार्य-रीतियों' को तैयार किया है।

2. इसके अलावा, दिनांक 30.08.2024 के समसंख्यक पत्र द्वारा जिसके अंतर्गत चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था। अब इन कार्य-रीतियों के पृष्ठ 8 पर विस्तृत चुनाव कार्यक्रम संलग्न है।

3. भाग लेने वाली क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयों से अपेक्षा की जाती है कि सबसे पहले इन कार्य-रीतियों को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड और अन्य व्यवहारिक साधनों द्वारा परिपत्रित करें।

4. तत्पश्चात, कार्यरीतियों की धारा 16.01 की चुनाव अधिसूचना के अनुसार, 10.09.2024 को विस्तृत चुनाव कार्यक्रम की एक प्रति संलग्न करते हुए इस विस्तृत चुनाव कार्यक्रम को जारी किया जाए, इसका व्यापक प्रचार करते हुए जिसकी सूचना इस कार्यालय को भी दी जाए।

संलग्नः यथोक्त

Sd/-

(राजीव गांधी)

कार्यपालक निदेशक स्था./रेल भर्ती बोर्ड एवं संयोजक

गुप्त मतपत्र चुनाव समिति-III

सत्यमेव जयते

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

भारतीय रेल में
ट्रेड यूनियनों को
मान्यता प्रदान करने
हेतु

गुप्त मतपत्र चुनाव-III
कराने के लिए

अंतिम कार्य-रीतियां
2024

विषय सूची

खंड	विषय वस्तु	पृष्ठ
	प्रस्तावना	4
	रेलवे बोर्ड के गुप्त मतदान समिति आदेश	6
	विस्तृत मतदान कार्यक्रम	8
	अंतिम कार्य-रीतियाँ	9-35
	ट्रेड यूनियन	
01.	ट्रेड यूनियनों के लिए पात्रता शर्तें	9
	मतदाता	
02.	मतदान करने की पात्रता	11
03.	अपात्र मतदाता	11
04.	मतदाता सूची	12
	मान्यता एवं संबंधित मामले	
05.	मान्यता मानदंड	14
06.	चुनाव लड़ने की पूर्व शर्तें	15
07.	एक समान अवसर	18
	मतदान की तैयारी	
08.	मतदान पेटी	19
09.	मतपत्र	20
10.	चुनाव चिह्न आबंटन	21
12.	मतदान सामग्री	22
13.	नि:शक्तता अधिनियम, 2016 के अंतर्गत मतदाता	22
14.	डाक मतदान प्रणाली	23
15.	डाक मतदान प्रणाली-नयाचार	23
16.	**मतदान प्रक्रिया**	
	अधिसूचना	23
	मतदान दिन एवं समय	23
	चुनाव तंत्र	24
	नामांकन पत्र जमा करना	25
	नामांकन पत्रों की जांच	27

9/9/24 9.9.24 9/9/24

	मतदान केंद्र	27
	मतदान एजेंट	29
	मतदान दल	29
	मतदान करने की प्रक्रिया	31
	पुनः मतदान	31
17.	मतपत्र बक्सों का भंडारण एवं सुरक्षा	32
18.	मतपत्र बक्सों का परिवहन एवं सुरक्षा	33
19.	वोटों की गिनती	33
20.	चुनाव रिपोर्ट	34
21.	अंतिम परिणाम की घोषणा	34
22.	स्पष्टीकरण जारी करने के लिए प्राधिकारी	34
	अनुलग्नक	
I	अनुशासन संहिता	
II	आचार संहिता	
III	एक समान अवसर से संबंधित शपथपत्र का प्रारूप	
IV	मतदान सामग्री	
V	नि:शक्तता अधिनियम, 2016 के अधीन साथी का प्रारूप	
VI	डाक मतदान प्रणाली	
VII	क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाईयों द्वारा जारी अधिसूचना का प्रारूप	
VIII	पीठासीन अधिकारी का नियुक्ति पत्र	
IX	मतदान टीम की नियुक्ति	
X	नामांकन फॉर्म	
XI	ट्रेड यूनियन में पदाधिकारी न होने के संबंध में घोषणा	

प्रस्तावना

रेलवे बोर्ड ने दिनांक 17.11.2023 के अपने पत्र सं. ईआरबी-1/2023/23/60 द्वारा ट्रेड यूनियनों को सत्यापन/मान्यता प्रदान करने के लिए एक 'गुप्त मतदान चुनाव समिति' का गठन किया था, अधोहस्ताक्षरी सदस्य के तौर पर हैं। पत्र की एक प्रति नीचे प्रस्तुत है।

समिति ने 'विचारार्थ विषय' के आधार पर सभी हितधारकों के दृष्टिकोण और टिप्पणियों को जानने के लिए अपना कार्य शुरू किया और हमें यह कहते हुए ख़ुशी हो रही है की 40 से ज्यादा पंजीकृत ट्रेड यूनियनों से लगभग 350 सुझाव प्राप्त किए गए।

समिति ने चित्तरंजन और कोलकाता का दौरा किया और चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना और मेट्रो रेलवे, कोलकाता के महाप्रबंधकों के साथ चर्चा की। इसने प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना तथा उनकी टीम और सभी पंजीकृत ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ गहन बैठक की, इस तथ्य को देखते हुए गुप्त मतपत्र चुनाव प्रणाली पहली बार चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना में आयोजित किया जाना है। इसने पूर्व रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, दक्षिण-पूर्व रेलवे और मेट्रो रेलवे कोलकाता के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी और उनकी टीमों और यूनियनों के साथ देर तक चलने वाली लंबी चर्चाएं की, जिसमें सभी प्रासंगिक मुद्दों की विस्तार से जांच की गई। चर्चा के दौरान समिति को चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर गहन जानकारी प्राप्त हुई। इससे पहले समिति ने गाजियाबाद, उत्तर रेलवे में क्रू लॉबी के पर्यवेक्षकों से भी बातचीत की ताकि रनिंग स्टाफ द्वारा मतदान की प्रक्रिया को समझा जा सके जो चुनाव प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। गाजियाबाद के इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेंटर के दौरे से हमें विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रेल सेवकों द्वारा मतदान की प्रक्रिया पर अपने विचार पुख्ता करने में मदद मिली। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीएचईएल और बीएसएनएल जैसे कुछ प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, जहां गुप्त मतपत्र चुनाव होते हैं, उनके सर्वोत्तम अभ्यासों से सीखने के लिए उनके प्रोटोकॉल का भी अध्ययन किया गया।

समिति ने शीर्ष नेतृत्व करने वाले एआईआरएफ, एनएफआईआर, डीआरईयु, बीआरएमएस, एसआरबीकेयु, टीएमसी और आरएमयु के साथ उनके द्वारा प्रस्तुत विचारों पर चर्चा के लिए औपचारिक बैठकें की गई थी जो चुनावी प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

कई हितधारकों द्वारा एक सबसे मुख्य मांग चुनाव को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा किया जाना था। चूंकि भारतीय रेल पर अभी तक कोई परीक्षण नहीं किया गया था इसीलिए चुनाव में इस तंत्र को शामिल करना संभव नहीं था। बहरहाल, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम सदैव पीछे न रहे, वर्तमान ट्रेड यूनियन चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन

9/9/24 9.9.24 9/9/24

के उपयोग के लिए एक परीक्षण करने का निर्णय किया गया है। महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे कोलकाता पायलट परियोजना के संबंध में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर अपनी रेलवे में सहमति के साथ बहुत सक्रिय है। पायलट परियोजना का चुनाव के परिणामों एवं इसके नतीजों का कोई संबंध नही होगा केवल महाप्रबंधक, मेट्रो द्वारा ही भविष्य के चुनावों में ईवीएम के उपयोग के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। महाप्रबंधक, मेट्रो मतदान केंद्रों में मतपेटियों के साथ-साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मशीनों के साथ इस परीक्षण के लिए प्रोटोकॉल तैयार करेंगे।

अंत में, इन सभी बातचीत के आधार पर, हमने संबंधित रेलवे बोर्ड अधिकारियों के साथ रेल प्रशासन के दृष्टिकोण से अपेक्षित मुख्य मुद्दों को सांझा किया, जिन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। इन सभी इनपुट के आधार पर, गुप्त मतदान समिति ने ये "अंतिम कार्य-रीतियां" तैयार की है, जिसमें 2007 और 2013 के पिछले दो चुनावों की भावना और रूपरेखा को बरकरार रखते हुए, पिछले दशक में पारिस्थितिकी तंत्र में हुए परिवर्तनों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इसे मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों और हितधारकों को चुनाव के जटिल परिदृश्य में मार्ग-निर्देशित करने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं साधनों से सशक्त बनाने के लिए तैयार किया गया है। ये तौर-तरीके चुनावी प्रक्रियाओं के संपूर्ण स्पेक्ट्रम को कवर करने और चुनावी प्रक्रिया के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं।

समिति ने लगभग सभी पहलूओं को विस्तार से बताने का प्रयास किया है जो ऐसा प्रतीत होता है की रेलवे प्रशासन के साथ- साथ प्रतिभागी ट्रेड यूनियनों के लिए भी लाभदायक होगा।

हम आशा करते हैं कि सभी हितधारक भारतीय रेल पर तीसरे 'गुप्त मतदान चुनाव' के समापन के लिए सर्वोत्तम इरादों और प्रयासों के साथ एक साथ आएंगे, ताकि परिणाम इसकी अत्यधिक प्रशंसित कार्यबल की सच्ची इच्छा को प्रतिबिंबित कर सकें।

Sd/-
आलोक कुमार
सदस्य (एसबीईसी)

Sd/-
राजीव किशोर
अध्यक्ष (एसबीईसी)

Sd/-
राजीव गाँधी
सदस्य सचिव एवं सहयोजक (एसबीईसी)

9/9/24

9.9.24

9/9/24

भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA)
रेल मंत्रालय (MINISTRY OF RAILWAYS)
रेलवे बोर्ड(RAILWAY BOARD)

No. ERB-I/2023/23/60 New Delhi, dated 17.11.2023

ORDER

Ministry of Railways (Railway Board) have decided to constitute a Committee for conducting Secret Ballot Elections for verifications/recognitions of Trade Unions on Zonal Railways including Metro Railway, CLW/Chittaranjan and RCF/Kapurthala.

1.1 The Committee will consist of the following:-

i.	Sh. Rajiv Kishore, Retd. AM/HR, Railway Board	.....Chairman
ii.	Sh. Alok Kumar, Retd. PCPO/SWR	.....Member
iii.	Sh. Rajiv Gandhi, EDE(RRB), Railway Board	.....Member Secretary & Convener

2. The Terms of Reference of the Committee would be as under: -

   i. *To review the modalities framed by earlier Committee for the elections held in April 2013 and frame modalities to conduct next Secret Ballot to recognize Railway Trade Unions.*
   ii. *To discuss with stakeholders and considering suggestions regarding the modalities proposed.*
   iii. *To form code of conduct/discipline for the elections along the lines of Code of discipline of Ministry of Labour drawn in a manner suitable for Indian Railways.*
   iv. *To function as a nodal body for conducting and supervising the secret ballot.*
   v. *To suggest a mechanism for arbitration on disputes arising out of elections.*
   vi. *To propose recognition of Federation(s) at Board's level.*

3. The Committee shall submit its report within 30 days from date of its constitution.

4. The Headquarters of the Committee will be at New Delhi.

5. AM(HR) will be the Nodal Officer for conducting Secret Ballot Elections for the verification/recognition of Unions on Railways. E(LR)-III Branch, Railway Board will be the nodal branch for functioning of the Committee. Therefore, submission of report of the Committee for consideration of Railway Board, implementation of its recommendations and all related issues including Parliament Questions, RTI cases and other formalities with regard to the Committee, shall be dealt with by E(LR)-III Branch, Railway Board.

6. The detailed Terms and Conditions for engagement of the Chairman and Member of the Committee will follow.

17/11/2023
(Vijay Kumar)
Under Secretary(Estt.)-I
Railway Board
........2/-

9/9/24 9.9.24 9/9/24

2019/E(LR)III/SBE-2024/1(TenureExtn.)

1855113/2024/ERB-I

1/·

भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA)
रेल मंत्रालय (MINISTRY OF RAILWAYS)
रेलवे बोर्ड(RAILWAY BOARD)

No. ERB-I/2023/23/60 **New Delhi, dated 13.08.2024**

ORDER

Further to Board's Orders of even number dated 17.11.2023, 18.01.2024 and 01.05.2024 constituting a Committee for conducting Secret Ballot Elections for verifications/recognitions of Trade Unions on Zonal Railways including Metro Railway, CLW/Chittaranjan and RCF/Kapurthala, Ministry of Railways (Railway Board) have decided to extend the tenure of the Committee for a further period up to 31.01.2025 or till the completion of the exercise of Secret Ballot elections/verification/recognition of Railway Trade Unions, whichever is earlier.

13/8/24

(Vijay Kumar)
Under Secretary(Estt.)-I
Railway Board

Copy to:-

1. EDPG/MR- for kind information of Hon'ble MR.
2. OSDs/PSOs/Sr.PPSs/PPSs/PSs to CRB & CEO, MI, M/T&RS, M/O&BD, MF, Secretary, All DGs/AMs, **AM/HR, PED(IR)**, JS, JS(G), Dir(E), DS(G), DS(A), US(Protocol).
3. The PFA, Northern Railway, New Delhi.
4. The Pay & Accounts Officer, Railway Board.
5. The Secretary General, FROA, IRPOF, AIRPFA.
6. The General Secretary, AIRF & NFIR.
7. The General Secretary, IRCA, New Delhi.
8. Cash-I, II, III, Tele, G, G(Pass), G(Acc.), Parl., ERB-I, ERB-II, ERB-III, Stationery, Signal, Reception, RBCC, Library, SSE(Power), **E(LR)-III Branch**, Railway Board.
9. The Chairman, Member and Member Secretary & Convener of the Committee.

-: O :-

9/9/24 9.9.24 9/9/24

विस्तृत चुनाव कार्यक्रम

01	"अंतिम कार्य रीतियां" अपलोड करना	**09.09.2024 (सोमवार)**
02	क्षेत्रीय रेल, मेट्रो रेलवे, कोलकाता/रेल डिब्बा कारखाना/ चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना द्वारा चुनाव अधिसूचना जारी करना	**10.09.2024 (मंगलवार)**
03	धारा 4.2 के अनुसार यूनिफार्म 'ड्राफ्ट वोटर्स लिस्ट' जारी करने की अंतिम तिथि	**23.09.2024 (सोमवार)**
04	ड्राफ्ट वोटर्स लिस्ट के विरुद्ध प्रतिनिधित्व जमा करने की अंतिम तिथि	**01.10.2024 (मंगलवार)**
05	'अंतिम वोटर्स लिस्ट' अपलोड करने की अंतिम तिथि	**18.10.2024 (शुक्रवार)**
06	ट्रेड यूनियन के द्वारा नामांकन भरने की अंतिम तिथि	**25.10.2024 (शुक्रवार)**
07	नामांकन पत्रों की अंतिम तिथि	**11.11.2024 (सोमवार)**
08	नामांकन पत्रों के प्रदर्शन की अंतिम तिथि	**11.11.2024 (सोमवार) (18:00 बजे के बाद)**
09	नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि	**14.11.2024 (गुरूवार)**
10	नामांकन पत्रों की अंतिम सूची के प्रदर्शन की अंतिम तिथि	**14.11.2024 (गुरुवार) (18:00 बजे के बाद)**
11	डाक मतपत्र हेतु अनुरोध करने की अंतिम तिथि	**18.11.2024 (सोमवार)**
12	मुद्रित मतपत्र प्रदर्शन की अंतिम तिथि	**23.11.2024 (शनिवार)**
13	रिटर्निंग अधिकारी द्वारा डाक मतपत्र वितरण/भेजने की अंतिम तिथि	**26.11.2024 (मंगलवार)**
14	ओपन लाइन क्षेत्रीय रेलवे के लिए मतदान तिथियां	**04.12.24 एवं 05.12.24 (बुधवार एवं गुरूवार)**
15	मेट्रो रेलवे, कोलकाता, चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना एवं रेल डिब्बा कारखाना के लिया मतदान तिथियां	**4.12.2024 (बुधवार)**
16	धारा 16.02 के अनुसार विशेष रूप से रनिंग स्टाफ के लिए मतदान की तिथि	**6.12.2024 (शुक्रवार)**
17	चुनाव प्रक्रिया में विचलन के संबंध में शिकयत प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	**6.12.2024 (शुक्रवार) (18:00 बज के बाद)**
18	यदि कोई पुनर्मतदान हो तो उसके संबंध में आदेश	**7.12.2024 (शनिवार)**
19	पुनर्मतदान (यदि होना हो)	**10.12.2024 (मंगलवार)**
20	वोटों की गिनती करना एवं परिणाम की घोषणा	**12.12.2024 (गुरूवार)**

9/9/24 9.9.24 9/9/24

1.0 ट्रेड यूनियन: ट्रेड यूनियनों के लिए चुनाव लड़ने के लिए पात्रता शर्तें:

1.1 प्रतिभागी ट्रेड यूनियनों को ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के तहत 31.12.2023 की तिथि कम से कम एक वर्ष (अर्थात पंजीकरण की तिथि 01.01.2023 को या उससे पहले की होनी चाहिए) के लिए पंजीकृत होना चाहिए। यह विशेष रूप से संबंधित रेलवे के सभी गैर-राजपत्रित रेल कर्मचारियों (अर्थात किसी श्रेणी/संवर्ग/खंड आदि के नहीं) के हितों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

1.2 ट्रेड यूनियन को ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के खंड 9 के अनुसार ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार' द्वारा जारी किए गए "पंजीकरण प्रमाणपत्र" की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। संबंधित ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष अथवा महासचिव द्वारा प्रति स्वप्रमाणित की जानी चाहिए।

1.3 ट्रेड यूनियन किसी जाति, जनजाति, क्षेत्र, भाषा अथवा धर्म संप्रदाय अथवा ऐसे जाति, जनजाति, क्षेत्र, भाषा अथवा धार्मिक संप्रदाय के अंतर्गत किसी समूह/भाग/उपवर्ग के आधार पर नहीं बनाई गई हो।

1.4 ट्रेड यूनियन का पंजीकृत क्षेत्राधिकार भौगोलिक रूप से संबंधित क्षेत्रीय महाप्रबंधक के क्षेत्राधिकार के अनुरूप होना चाहिए। संबंधित रेलों के महाप्रबंधक उन रेलों/उत्पादन इकाई पर ट्रेड यूनियन को मान्यता प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

1.5 रिट याचिका संख्या 29/2020 ('स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन बनाम भारत सरकार, रेल मंत्रालय') में बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ द्वारा पारित दिनांक 13.02.2020 के अंतरिम आदेश को ध्यान में रखते हुए, अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार वाली और संबंधित जोनल रेलवे/उत्पादन इकाई पर क्षेत्राधिकार रखने वाली पंजीकृत ट्रेड यूनियन भी उपरोक्त कोर्ट केस के निर्णय के अधीन चुनाव लड़ने के पात्र होंगी। इस मामले पर पृथक रूप से निदेश जारी किए जाएंगे।

1.6 ट्रेड यूनियन को संबंधित ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार को वर्ष 2023 के लिए "विवरणी" (ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 की धारा 28 के अनुरूप)

9/9/24 9.9.24 9/9/24

अवश्य जमा किया हो। ट्रेड यूनियन को लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, वर्ष 2023 के लिए विधिवत स्वीकार किए गए "विवरणी" की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी [अर्थात ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार द्वारा स्वीकृत], संबंधित ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रतिलिपि संबंधित ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष/महासचिव द्वारा स्व-प्रमाणित होनी चाहिए।

1.6 ट्रेड यूनियन को 30.08.2023 को या उसके बाद अनुशासन संहिता (**अनुलग्नक- I**) के उल्लंघन संबंधी किसी भी कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहिए।

1.7 "ट्रेड यूनियन के नियम" ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के खंड 6 के अनुरूप होने चाहिए। ट्रेड यूनियन रिटर्निंग अधिकारी को "ट्रेड यूनियन के नियमों" (जो भी नामकरण ज्ञात है जैसे कि उप-नियम आदि) की एक प्रति जमा करेगी। इसे संबंधित ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष/महासचिव द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाना चाहिए।

1.8 31.12.2023 तक रेलवे के पास ट्रेड यूनियन कार्यालय किराया ('इंजीनियरी विभाग के लिए भारतीय रेल संहिता' की धारा 1965 और संबंधित अनुदेशों के अनुसार), बिजली (रेलवे बोर्ड के दिनांक 13.12.1993 के पत्र संख्या 93/इलेक्ट्रिक (जी)/150/1 और संबंधित अनुदेशों के अनुसार), टेलीफोन और पानी के संबंध में मूल प्रभारित बिलों की कोई बकाया राशि लंबित नहीं होनी चाहिए।

1.9 ट्रेड यूनियन जो क्षेत्रीय रेलों में किसी सुविधा/संपत्ति के कानूनी/प्राधिकृत कब्जे में नहीं है इस आशय का हलफनामा प्रस्तुत करेगी। निर्वाचन अधिकारी रेल सुविधा/संपत्ति के गैर-कब्जे के ऐसे दावे (दावों) का उसके द्वारा उपयुक्त पाए जाने वाले तरीके से सत्यापन करेगा। ऐसे मामलों में निर्वाचन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

1.10 नामांकन पत्रों के साथ ट्रेड यूनियन को (i) ओपन लाइन क्षेत्रीय रेलवे के लिए ₹50,000/- (पचास हजार मात्र) और (ii) मेट्रो रेलवे, रेल डिब्बा कारखाना और चितरंजन रेल कारखाना के लिए ₹40,000/- (चालीस हजार मात्र), या तो (क) संबंधित क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाई के प्रधान वित्त सलाहकार/वित्त सलाहकार और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पक्ष में आहरित

9/9/24 9.9.24 9/9/24

डिमांड ड्राफ्ट अथवा (ख) संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के रोकड़ कार्यालय से प्राप्त धन रसीद के माध्यम से प्रतिदेय प्रतिभूति राशि प्रस्तुत करनी चाहिए।

1.11 यदि कोई ट्रेड यूनियन एसबीई-III में डाले गए कुल वैध मतों में से कम से कम 5% [पूर्णांकन अनुमेय नहीं] प्राप्त करने में विफल रहता है, तो पूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

2.0 मतदाता: मतदान करने के संबंध में पात्रता:

2.1 01.09.2024 से सेवारत सभी अराजपत्रित रेल सेवक (पूर्ववर्ती समूह 'घ' सहित समूह 'ग')

2.2 01.09.2024 को सेवारत अस्थायी प्रतिस्थानिक कर्मचारी।

2.3 01.09.2024 की स्थिति के अनुसार अराजपत्रित रेल कर्मचारी, जो प्रतिनियुक्ति (रेलवे विद्युतीकरण (आरई)/निर्माण परियोजनाओं/किसी भी अन्य परियोजनाओं जहां संवर्ग समाप्त नहीं किया गया है/अन्य कार्यालय) पर सेवारत हैं।

2.4 01.09.2024 की स्थिति के अनुसार रेलवे प्रशिक्षण केंद्रों/प्रशिक्षण संस्थानों में सेवारत अराजपत्रित रेल सेवक।

2.5 01.09.2024 को आरपीएफ/आरपीएसएफ स्थापना में सेवारत अनुसचिवीय/लिपिक रेल सेवक जो आरपीएफ/आरपीएसएफ संवर्ग से संबंधित नहीं हैं और जो रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 द्वारा शासित नहीं हैं।

2.6 (ख) मध्यवर्ती प्रशिक्षु मैकेनिक्स (आईएएम) और इसी प्रकार के अन्य रेल सेवक जो वृत्तिका प्राप्त कर रहे हैं।

3.0 अयोग्य मतदाता: रेलवे प्रतिष्ठानों के कर्मचारी मतदान के लिए पात्र नहीं हैं:

3.1 बिना अस्थायी स्थिति वाले प्रतिस्थानिक

3.2 नैमित्तिक/ठेका श्रमिक तथा दैनिक मजदूरी आधार पर नियोजित श्रमिक।

3.3 रेलवे स्कूलों/कॉलेजों के अकादमिक कर्मचारी, जिन्हें रेलवे बोर्ड के

9/9/24 9.9.24 9/9/24

दिनांक 04.01.1966 के पत्र संख्या ई (एलडब्ल्यूए) 65एटी/आईडी/1-6 (एमसी 18 दिनांक 22.01.2021 का पैरा 4.9) के अनुसार ट्रेड यूनियन का सदस्य बनने की अनुमति नहीं है।

3.4 रेल कर्मचारी, जिसे पदोन्नत किया गया है और जिसने मतदान की तारीख को या उससे पहले राजपत्रित पद का प्रभार ग्रहण किया है। उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा/हटा दिया गया माना जाएगा।

3.5 ऐसा रेल कर्मचारी जो मतदान की तारीख को या उससे पहले अधिवर्षिता प्राप्त कर चुका है या जिनकी स्वेच्छा से अथवा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति हो चुकी है या बर्खास्त कर दिया गया है या हटा दिया गया है या त्यागपत्र दे दिया है या अब जीवित नहीं है। उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा/हटा दिया गया माना जाएगा।

3.6 रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल कर्मचारी रेल सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अभिशासित होते हैं।

3.7 नए भर्ती किए गए कर्मचारी अर्थात वे जिन्होनें (i) रेलवे में अभी तक किसी पद का सेवाभार ग्रहण नहीं किया है; अथवा (ii) 01.09.2024 की स्थिति के अनुसार प्रशिक्षुओं के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं; और (iii) वृत्तिका प्राप्त कर रहे हैं।

4.0 **मतदाता सूची**:

4.1 चुनाव में भाग लेने वाली सभी इकाइयों में मतदाता सूची के लिए एक समान प्रारूप होगा।

4.2 मतदाता सूची का प्रारूप निम्नानुसार है:-

मतदान केंद्र का पता: बूथ संख्या:

9/9/24 9.9.24 9/9/24

नाम	पद/पदनाम	पहचान पत्र सं./कर्मचारी सं./टोकन सं.	पीएफ सं./प्रान सं.	एचआरएमएस आईडी	किसके अंतर्गत कार्यरत हैं	स्टेशन/ स्थान जहां पदस्थापित हैं	टिप्पणी (यदि कोई हो)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

4.3 अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख को उस अंतिम मतदाता सूची में शामिल रेल सेवकों की मतदान करने की पात्रता फ्रीज कर दी जाती है। बहरहाल, यदि किसी मतदाता का स्थानांतरण जोन/उत्पादन इकाई (किसी भी कारण से) से होता है और अंतिम मतदाता सूची के फ्रीज होने के बाद स्थानांतरण किया जाता है तो वह उस जोन/उत्पादन इकाई में मतदान करने का पात्र नहीं होगा। वह नए जोन/उत्पादन इकाई में मतदान करने का हकदार होगा। नए जोन/उत्पादन इकाई में उसका नाम शामिल करने के लिए कार्यमुक्त करने कार्यभार ग्रहण कराने वाले दोनों निर्वाचन अधिकारियों द्वारा आवश्यक उपाय किए जाएंगे। ऐसे मामलों को न्यूनतम रखने के लिए, अपवादिक स्थितियों को छोड़कर अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद स्थानान्तरण को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए।

क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाई के भीतर स्थानांतरण के लिए, अपवादिक मामलों में, अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद अर्थात 18.10.2024, मतदाता का विवरण नए कार्यालय के अंतिम मतदाता सूची में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यदि डेटा के हस्तांतरण को व्यवस्थित करना संभव नहीं है, तो मतदाता को अपने पिछले कार्यभार ग्रहण करने के स्थान के बूथ पर मतदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जहां उसका नाम अंकित है। मतदाता का पहचान पत्र और स्थानांतरण आदेश ऑर्डर की मदद से अंकित की जाएगी।

4.4 रेलवे में मतदाता कार्यालय द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र को मतदाताओं की

9/9/24 9.9.24 9/9/24

पहचान के लिए वैध दस्तावेज/प्रमाण माना जाना चाहिए। इसलिए, सभी यूनिटों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी रेल सेवकों के पास मतदान के लिए निर्धारित तिथियों से पूर्व रेलवे पहचान-पत्र (मतदान की तारीख पर मान्य) हों। केवल ऐसे पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही मतदाता को अपना वोट डालने की अनुमति दी जाएगी।

4.5 असाधारण मामलों में, जब इस प्रकार का पहचान पत्र उपलब्ध न हो, मतदाता को मतदान अधिकारी (जिसका निर्णय इस मामले में अंतिम होगा) के समक्ष अपनी पहचान के लिए निम्नलिखित में से कोई एक पहचान पत्र (क) आधार कार्ड; (ख) यूएमआईडी कार्ड; (ग) ईपीआईसी/मतदाता पहचान पत्र; (घ) पैन कार्ड; (ङ) पासपोर्ट; (च) ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसे सभी कार्ड मूल रूप में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। कार्मिक अधिकारी द्वारा अस्थायी पहचान पत्र जारी करने संबंधी पूर्व प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।

5.0 मान्यता मानदंड और संबंधित मामले : 'गुप्त मतदान निर्वाचन' के माध्यम से सदस्यता के सत्यापन के आधार पर, टेंडर यूनिट(ओं) को मान्यता प्रदान करने पर निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार विचार किया जाएगा:

5.1 क्षेत्रीय रेल/उत्पादन इकाई के 'कुल मतदाताओं' की संख्या का 30% अथवा उससे अधिक मत प्राप्त करने वाले ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के लिए विचार किया जाएगा। 'कुल मतदाता' का अर्थ है 'अंतिम मतदाता सूची' में प्रकाशित (धारा 4.3 को पढ़ें) रेल सेवकों की कुल संख्या।

5.2 यदि पूर्ववर्ती धारा 5.1 के अनुसार कोई ट्रेड यूनियन 'कुल मतदाताओं' का 30% मत प्राप्त करता है और कुछ अन्य ट्रेड यूनियन "कुल वैध मतों" (अर्थात मतदान किए गए कुल वैध मतों) का 35% मत या अधिक प्राप्त करता है, तो दोनों ट्रेड यूनियन को मान्यता देने के लिए विचार किया जाएगा।

5.3 यदि दो रनर अप मतदान किए गए कुल वैध मतों (मतदान किए गए कुल वैध मतों का 35% अथवा उससे अधिक प्राप्त करते हैं) की समान संख्या प्राप्त करती हैं तो ड्रॉ के आधार पर दोनों में से केवल एक रनर-अप ट्रेड यूनियन को मान्यता देने के बारे में विचार किया जाएगा।

5.4 यदि पूर्ववर्ती खंड 5.1 और 5.2 में निर्धारित स्थितियां उत्पन्न नहीं होती हैं, तो मतदान किए गए कुल वैध मतों के 35% या अधिक वैध वोट हासिल करने वाली दो ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के लिए विचार किया जाएगा।

5.5 यदि पूर्ववर्ती खंड 5.1, 5.2 और 5.4 में निर्धारित स्थितियां उत्पन्न नहीं होती हैं, तो मतदान किए गए कुल वैध मतों की अधिकतम संख्या हासिल करने

9/9/24 9.9.24 9/9/24

वाले ट्रेड यूनियन को मान्यता देने के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उसे मतदान किए गए कुल वैध मतों का 20% या अधिक प्राप्त किए हो। इस उप-धारा के तहत, मान्यता देने के लिए केवल एक ट्रेड यूनियन पर विचार किया जाएगा। बहरहाल, यदि दो या दो से अधिक ट्रेड यूनियन को समान संख्या में वैध मत प्राप्त होते हैं तो उनके बीच मान्यता देने के लिए ड्रा के आधार पर केवल एक ट्रेड यूनियन पर विचार किया जाएगा।

5.6 यदि कोई ट्रेड यूनियन मतदान किए गए कुल वैध मतों का कम से कम 20% प्राप्त नहीं करती है, तो किसी भी ट्रेड यूनियन को मान्यता देने पर विचार नहीं किया जाएगा।

5.7 अवधि: सामान्यतः ट्रेड यूनियन की मान्यता आम-तौर पर महाप्रबंधक द्वारा मान्यता प्रदान करने की तारीख से पांच वर्ष के लिए वैध होगी। सामान्यतः मान्यता के लिए गुप्त मतदान चुनाव प्रत्येक पांच वर्ष में आयोजित किया जाएगा।

5.8 इस प्रकार प्रदान की गई मान्यता को किसी मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन को कारण बताओ नोटिस जारी करने और अख्यात्मक आदेश पारित करने के बाद महाप्रबंधक द्वारा किसी भी न्यायोचित कारण से वापस/निलंबित किया जा सकता है।

5.9 नई चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक मौजूदा मान्यताप्राप्त ट्रेड यूनियन एवं उनके फेडरेशन मान्यताप्राप्त (शर्तों के अध्यधीन, यदि कोई हैं) रहेंगे।

5.10 **मतदान किए गए कुल वैध मत का न्यूनतम 15% प्राप्त करने वाली यूनियन के लिए सुविधाएं:** मतदान किए गए कुल वैध मत का न्यूनतम 15% प्राप्त करने वाली ट्रेड यूनियनों को (i) सूचना पट्टों तथा; (ii) गेट मीटिंग (रेलवे बोर्ड के निर्धारित अनुदेशों के अनुसार) की सीमित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

6.0 चुनाव लड़ने की पूर्व-शर्तें :

6.1 इस चुनाव में भागीदारी का अर्थ होगा कि चुनाव लड़ रही ट्रेड यूनियन इन नियमों और शर्तों तथा इन कार्य-रीतियों सहित रेलवे बोर्ड/प्रशासन द्वारा जारी किए गए संबंधित अनुदेशों को बिना किसी शर्त स्वीकार करती है। किसी भी विवाद के मामले में, इन कार्य-रीतियों के प्रावधानों (और अन्य संबंधित स्पष्टीकरण) की इन कार्य-रीतियों के अंतर्गत आने वाले मामलों में भारतीय रेल स्थापना नियमावली से अधिक श्रेष्ठता होगी। चुनाव लड़ रहीं ट्रेड यूनियन निम्नलिखित का पालन करने के लिए भी सहमत हैं:

9/9/24 9.9.24 9/9/24

6.2 अनुशासन संहिता: चुनाव लड़ रही सभी ट्रेड यूनियनों को लिखित में देना होगा कि वे अनुलग्नक-I में यथा निर्धारित "अनुशासन संहिता" का पालन करेंगी। रेल प्रशासन वेबसाइट पर प्रमुखता से "अनुशासन संहिता" प्रदर्शित करेंगे।

6.3 भारतीय रेल स्थापना नियमावली: भारतीय रेल स्थापना नियमावली के अध्याय XXV और XXVI जो (i) अराजपत्रित रेल सेवकों की यूनियनों की मान्यता; और (ii) यूनियनों की मान्यता से संबंधित पूर्व-निर्धारित शर्तें और (iii) रेल श्रमिक/कर्मचारी एवं रेल प्रशासन के बीच विवादों से निपटने के लिए वार्ता तंत्र आदि के लिए नियमों से संबंधित है। अतः इस गुप्त मतपत्र चुनाव-III में भागीदारी का अर्थ होगा कि चुनाव लड़ रही ट्रेड यूनियन भारतीय रेल स्थापना नियमावली के प्रावधानों को बिना किसी शर्त स्वीकार करती है।

6.4 आचार संहिता (अनुलग्नक-II) :"आचार संहिता" गुप्त मतपत्र चुनाव समिति द्वारा इन चुनावों की अधिसूचना की तिथि अर्थात् 30 अगस्त, 2024 से लागू होगी।

6.5 चुनाव लड़ रही सभी ट्रेड यूनियन चुनाव प्रक्रिया के दौरान "आचार संहिता" के प्रावधानों का पालन करेंगी। इनका उल्लंघन करने पर वे अनुलग्नक-II में यथा निर्धारित दंड के पात्र होंगे। आचार संहिता के महत्वपूर्ण प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

6.5.1 चुनाव लड़ने वाली कोई भी ट्रेड यूनियन मतदाताओं से धर्म, राजनीति, जाति, समुदाय, क्षेत्र, लिंग और भाषा आदि के आधार पर मतदान की अपील नहीं करेगी।

6.5.2 कोई भी चुनाव लड़ने वाली ट्रेड यूनियन अथवा उसका कोई कार्यालय पदाधिकारी/प्रतिनिधि किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नही होगा जो विभिन्न श्रेणियों, संवर्गों, समुदायों, धर्मों आदि के बीच तनाव/मनमुटाव का कारण बने।

6.5.3 असत्यापित बयानों के आधार अन्य ट्रेड यूनियन अथवा कार्यालय पदाधिकारियों अथवा उनके कर्मियों की आलोचना नहीं की जाएगी।

6.5.4 चुनाव लड़ रहीं ट्रेड यूनियन अथवा उसके एजेंट (सोशल मीडिया यूजर के रूप में कार्यरत) "सोशल मीडिया प्लेटफार्मों" के माध्यम से अपने प्रतिद्वंदियों तथा रेल प्रशासन के विषय में 'फर्जी खबरें' नहीं फैलाएंगे। "फर्जी खबर" में शामिल अथवा उनका संयोजन निम्नलिखित है: - (i) किसी के बयान का गलत

9/9/24 9.9.24 9/9/24

उद्धरण या किसी के बयान की फर्जी और/या गलत रिपोर्ट; (ii) ऑडियो या वीडियो का संपादन जिसके परिणामस्वरूप तथ्यों और/या संदर्भ का विरूपण होता है; अथवा (iii) पूरी तरह से काल्पनिक विषय। "सोशल मीडिया प्लेटफार्म" से अर्थ है सोशल नेटवर्क साइट्स, ब्लॉग साइट्स, विडियो-शेयरिंग साइट्स जैसी कोई भी यूजर-विशिष्ट वेब-आधारित तकनीक जो इंटरनेट के माध्यम से अप्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना चाहती है। "सोशल मीडिया यूजर" में कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह, प्राकृतिक अथवा न्यायिक, संगठित अथवा असंगठित शामिल है जो किसी भी उद्देश्य के लिए संदेश और/अथवा सूचना सत्यापित या छद्म नाम, काल्पनिक या फर्जी खाते/पेज नाम के तहत भेजने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है। यदि ट्रेड यूनियन फर्जी खबर फैलाने में संलिप्त पाई जाती हैं तो वे अनुलग्नक-II के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हैं।

6.5.5 प्रतिद्वंदी ट्रेड यूनियन की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों और कार्य के पिछले रिकॉर्डों तक ही सीमित होनी चाहिए। किसी व्यक्ति/कार्यालय पदाधिकारी के व्यक्तिगत जीवन और गतिविधियां जो रेल कार्यों से संबंधित नहीं है, प्रचार के दौरान नहीं उठाई जाएं।

6.5.6 प्रचार/बैठकों के प्रयोजन के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि और पूजा/सभा के अन्य स्थानों एवं रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्मों का भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

6.5.7 निर्वाचित जन प्रतिनिधियों (जो चुनाव लड़ रही किसी भी ट्रेड यूनियन अथवा राष्ट्रीय फेडरेशन अथवा केंद्रीय ट्रेड यूनियनों जिससे चुनाव लड़ रही यूनियन संबद्ध है, में किसी पद पर न हो) द्वारा चुनाव प्रचार करने की अनुमति नही है।

6.5.8 मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर चुनाव प्रचार करना और मतदान आरंभ होने से 48 घंटे पूर्व जन बैठकें आयोजित करने की अनुमति नहीं है।

6.5.9 किसी रेल सेवक को किसी विशेष तरीके से मतदान करने के लिए किसी भी प्रकार से डराना/धमकी अथवा दबाव डालने की अनुमति नहीं है।

6.5.10 प्रचार के दौरान अग्निशस्त्र रखना, नारे लगाना, सांप्रदायिक/राजनीति/धार्मिक आवेग भड़काने की अनुमति नहीं होगी।

9/9/24 9.9.24 9/9/24

6.5.11 किसी भी तरीके से गिफ्ट, नकद आदि देने की सख्ती से मनाही है। इस संबंध में प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी संबंधित क्षेत्रीय रेल के क्षेत्राधिकार में स्थित रेलवे सहकारी समितियों को चुनाव की अधिसूचना की तिथि से मतदान के दिन तक की अवधि के दौरान कोई विशेष ऋण (अपेक्षित मासिक बचत जमा राशि ऋण के अलावा) अथवा/और विशेष लाभांश देने से बचने के लिए एक परामर्शिका जारी करेंगे।

6.5.12 यह नोट किया जाए कि (i) स्टेशनों/स्टेशन भवनों, चल स्टॉक, आधिकारिक सरकारी भवनों पर पोस्टर/चुनाव प्रचार सामग्री चिपकाना और/अथवा; (ii) किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचना, जिसमें कालोनियों आदि में कार्यालय एवं अन्य भवनों के दीवारों पर लिखने की सख्त मनाही है। ट्रेड यूनियन रेल परिसर, रेलवे स्टेशनों और चाहरदीवारों को पोस्टर चिपका कर अथवा पेंट करके खराब नहीं करेगी। इस धारा संबंधी अपराध के मामले में, निर्वाचन अधिकारी आचार संहिता के प्रावधानों के अनुसार (i) प्रतिभूति जमा जब्त करने; और/अथवा (ii) संबंधित ट्रेड यूनियन पर जुर्माना लगाने; और/अथवा (iii) गंभीर उल्लंघन के मामले में उपर्युक्त समझा जाने वाला कोई अन्य दंड, के लिए एक उपयुक्त स्पष्ट आदेश जारी करेगा।

6.5.13 उल्लंघन के मामलों में अनुलग्नक-II के अंतर्गत कार्रवाई के अलावा 'लोक संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम' अथवा संबंधित राज्यों के सुसंगत समान अधिनियमों के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

6.5.14 रेल प्रशासन चुनाव लड़ रही ट्रेड यूनियनों को पोस्टर/चुनाव प्रचार सामग्री चिपकाने के लिए उचित स्थान मुहैया/अभिहित करना चाहिए। बहरहाल, चुनाव खत्म होने के बाद ट्रेड यूनियन किसी भी (अनुमत/अभिहित स्थान पर चिपकाए गए) पोस्टर को हटाएगी।

6.5.15 चुनाव प्रचार के दौरान लगाए गए पोस्टरों में मौजूदा और पुराने राष्ट्रीय नेताओं के चित्रों का अनादर नहीं किया जाएगा।

6.5.16 चुनाव प्रचार के दौरान किसी अन्य गतिविधि जो ट्रेड यूनियन गतिविधियों के मान्यता प्राप्त क्षेत्र के (i) बाहर; (ii), प्रतिकूल एवं विपरीत है; (iii) शांति एवं जनशांति के प्रतिकूल है, की मनाही है।

7.0 **चुनाव लड़ने वाली ट्रेड यूनियनों को एक समान अवसर देना :** वर्तमान मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों को कुछ सुविधाएं दी गई हैं। इन चुनावों में लड़ रही सभी ट्रेड यूनियनों को एक समान अवसर देने के लिए, वर्तमान मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों जिन्हें पी.आर.ई.एम. योजना (पहले सी.ई.जी.) के अंतर्गत किराया

मुक्त कार्यालय परिसर, कार्ड पास आदि जैसी रेलवे सुविधाएं दी गईं हैं, को चुनावी उद्देश्यों के लिए उनका इस्तेमाल करना मना है। ट्रेड यूनियनें इन सुविधाओं का प्रयोग विज्ञापन अथवा चुनाव-संबंधी सामान के भंडारण के लिए प्रयोग नहीं कर सकती। इन परिसरों में कोई भी चुनावी बैठक नहीं की जाएगी। चुनाव लड़ रही ट्रेड यूनियनों द्वारा एक शपथ पत्र (**अनुलग्नक-III** के अनुसार) प्रस्तुत किया जाएगा कि वे उपरोक्त उद्देश्यों के लिए इन सुविधाओं का उपयोग नहीं करेंगे।

7.1 बहरहाल ऐसी मौजूदा मान्यताप्राप्त ट्रेड यूनियनों को उन्हें आबंटित सीयूजी मोबाइल का प्रयोग करने की अनुमति होगी बशर्ते कि वे चुनाव अवधि के दौरान उनके प्रयोग के लिए प्रभारों का भुगतान रेलवे बोर्ड के दिनांक 12.04.2023 के परिपत्र सं 2021/टेली/11(2)/1(3346054) में अधिसूचित दरों (समय-समय पर संशोधित) पर करने के लिए सहमत हों। ट्रेड यूनियनों को सीयूजी-धारक द्वारा यदि आवश्यक प्रभार चुनाव समाप्ति से पहले भुगतान नहीं किया जाता है तो वेतन/जमा से भुगतान करने का वचनबंध देकर अपने रिटर्निंग ऑफिसर/पीठासीन अधिकारी से विशिष्ट सीयूजी मोबाइल नंबरों का उपयोग जारी रखने के लिए अनुरोध करना चाहिए।

7.2 **स्थायी वार्ता तंत्र :** रेल प्रशासन चुनाव की अधिसूचना की तिथि के बाद मौजूदा मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन के साथ कोई स्थायी वार्ता तंत्र अथवा औपचारिक बैठक आयोजित नहीं करेगा।

7.3 **विशेष छुट्टी :** किसी भी रेल सेवक या चुनाव लड़ रही ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि को चुनाव अभियान/प्रचार आदि के लिए विशेष छुट्टी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7.4 **गेट बैठक:** चुनाव लड़ने वाली ट्रेड यूनियन को दोपहर के भोजन के दौरान 'गेट मीटिंग' करने के लिए रेल प्रशासन से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी। बहरहाल, मतदान की तारीख से 48 घंटे के भीतर किसी गेट मीटिंग की अनुमति नही होगी।

7.5 **उल्लंघन:** इन अनुदेशों का उल्लंघन भ्रष्ट निर्वाचन पद्धतियां और "आचार संहिता" का उल्लंघन माना जाएगा। यह साबित करने की जिम्मेदारी ट्रेड यूनियन पर होगी कि इस तरह के उल्लंघन नहीं हुए हैं।

8 चुनाव की तैयारी :

9/9/24 9.9.24 9/9/24

8.0 वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन: चुनाव संबंधी व्ययों को पूरा करने के लिए एकमुश्त अग्रिम रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया जाएगा और आदेश अलग से जारी किया जाएगा। चुनाव खाते पर व्यय करने की वित्तीय शक्तियां निर्वाचन अधिकारी या रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले विशिष्ट आदेशों के माध्यम से अन्य मतदान संबंधी प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित की जाएंगी।

8.1 मतपेटियां: निर्वाचन/पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए पर्याप्त संख्या में मतपेटियां, अपेक्षित लेखन-सामग्री, सीलींग वेक्स, क्रम संख्या वाली पेपर सील आदि सहित उपलब्ध करवाई जाएंगी और यह प्रतिदिन मतदान से पहले तथा मतदान के बाद (i) ट्रेड यूनियन के मतदान एजेंट एवं (ii) मतदान अधिकारी अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में सील की जाएंगी।

8.2 मतपेटियां राज्य(राज्यों) के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अथवा पड़ोसी राज्य(राज्यों) से ली जाएं। कमी पड़ने की स्थिति में, मुड़े हुए मतपत्रों को डालने हेतु रेल भर्ती बोर्ड/रेल भर्ती परिषद परीक्षाओं में इस्तेमाल किए जाने वाले मेटल बक्सों में उपयुक्त संशोधन कर इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि फिर भी कमी पड़ती है, तो नई मतपेटियों की व्यवस्था/खरीद/विनिर्माण कारखानों में किया जाए।

8.3 प्रतिदिन मतदान के लिए भिन्न मतपेटियों का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रतिदिन के मतदान के बाद मतदान अधिकारी, इस उद्देश्य के लिए नामित मतदान एजेंटों (ट्रेड यूनियनों द्वारा), रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बलकर्मियों के हस्ताक्षर लेने के बाद सील किए जाएं। उसके बाद, मतदान अधिकारी (अथवा उसके प्रतिनिधि), इस उद्देश्य के लिए नामित मतदान एजेंटों (ट्रेड यूनियनों द्वारा), सुरक्षित एवं संरक्षित कमरे में रखा जाए। भंडारण का स्थान संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा तय किया जाएगा।

8.4 कमरे की सील केवल अगले दिन की मतपेटियों को रखने के लिए ही खोली जाएगी तथा समान नयाचार का पालन करते हुए पुन: सील कर दी जाएगी। मतदान अधिकारी अथवा पीठासीन अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए विशेषत: नामित व्यक्ति मतपेटियों का अभिरक्षक होगा। रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के गार्ड मतपेटियों की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाएंगे।अंतिम मतदान के बाद, मतदान अधिकारी मतगणना के लिए मतपेटियों को पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्धारित मतगणना केंद्रों तक पहुँचाने के लिए सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करेगा।

9/9/24 9.9.24 9/9/24

8.5 मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मतदान अधिकारियों से सीलबंद मतपेटियां प्राप्त होने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा भी समान भंडारण एवं सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी।

8.6 मतपेटियों के भंडारण के लिए निर्धारित स्थान संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा अग्रिम रूप से अधिसूचित किया जाएगा। इन सभी मामलों में, पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

9.0 **मतपत्र:** निर्वाचन अधिकारी मतपत्र को बनाने तथा उनके प्रकाशन की व्यवस्था निम्नलिखित अनुदेशों के अनुसार करेगा:

9.1 मतपत्र निम्नलिखित प्रारूप में होगा :-

क्रमांक	ट्रेड यूनियन का नाम	अंग्रेज़ी में संक्षिप्त नाम	हिंदी में संक्षिप्त नाम	चुनाव चिह्न
1	पूरा नाम	ए ए ए		
2	पूरा नाम	बी बी बी		

9.2 मतपत्र की दो पंक्तियों के बीच में उचित ऊँचाई वाली एक खाली पंक्ति होनी चाहिए (ट्रेड यूनियन के नाम वाली) जिससे लापरवाह मतदाताओं द्वारा एक के ऊपर दूसरी जगह पर मुहर न लगाई जा सके। इससे मतपत्रों के अमान्य (गलत जगह मुहर लगाने के कारण) होने में कमी होगी ।

9.3 मतपत्र में मुहर लगाने के लिए कोई अलग स्थान/कॉलम नहीं दिया जा रहा है क्योंकि यदि मतदाता लापरवाही में दिए गए स्थान/कॉलम में मुहर लगाने के बजाय यूनियन के नाम अथवा चिह्न पर मुहर लगा देता है तो मत अमान्य हो जाएगा। अत:, मतदाता मतपत्र के उपरोक्त प्रारूप में किसी एक ट्रेड यूनियन

9/9/24 9.9.24 9/9/24

के लिए दिए गए पांच कॉलमों (क्रमांक वाले कॉलम सहित) में से किसी पर भी मुहर लगा सकता है।

9.4 चुनाव में लड़ने वाली सभी ट्रेड यूनियनों के नाम वर्णानुक्रम (अंग्रेज़ी वर्णमाला) में उल्लिखित होने चाहिए।

10.0 **चुनाव चिह्न का आबंटन:** चुनाव लड़ने वाली ट्रेड यूनियनों को चुनाव के लिए भिन्न 'चिन्ह' आबंटित किए जाएंगे।

10.1 ट्रेड यूनियन अपना चिन्ह चुन सकती है जो संबंधित क्षेत्रीय रेलों के राज्यों में "भारत के निर्वाचन आयोग" अथवा "राज्य निर्वाचन आयोग" द्वारा किसी राजनैतिक दल से समानता न हो।

10.2 इसकी किसी भी धार्मिक अथवा सांप्रदायिक चिह्नों/विचारों से समानता नहीं होनी चाहिए।

10.3 चिह्न पर लोको पायलट, टिकट चेकिंग स्टाफ, ट्रैक मेंटेनर जैसी आदि रेल कर्मचारी की किसी भी श्रेणी की छवि नहीं होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि प्रतीक का कोई मानव रूप नहीं होना चाहिए, लेकिन इंजन, ट्रैक, स्टेशन आदि कि छवि जैसी रेलवे से संबंधित वस्तुओं को दिखा सकता है।

10.4 बहरहाल, यह स्पष्ट किया जाता है कि ट्रेड यूनियन को अपने प्रमाणित प्रतीक चिन्ह का चिह्न के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति है। चिह्न में ट्रेड यूनियन/संघ का नाम हो सकता है।

10.5 किसी भी दो चुनाव लड़ने वाली ट्रेड यूनियनों को समान दिखने वाले चिन्ह आवंटित नही किए जाएंगे। निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि दो चिन्ह समान दिख रहे हैं या नहीं एवं उसका निर्णय अंतिम होगा।

10.6 चुनाव लड़ने वाली ट्रेड यूनियनें एक घोषणापत्र प्रस्तुत करेंगी कि उनके द्वारा चुना गया 'चिह्न' पूर्ववर्ती उप-धाराओं में ऊपर-उल्लिखित शर्तों को पूरा करता है।

10.7 एक से अधिक ट्रेड यूनियनें एक समान/एक जैसे चिह्न के लिए आवेदन करती हैं, तो इस प्रकार के मामलों में पहले आओ-पहले पाओ का सिद्धांत लागू होगा। पहले आओ- पहले पाओ का सिद्धांत आवेदन नामांकन करते समय/तिथि से प्रभावी होगा।

10.8 यदि वर्ष 2007/2013 के पिछले चुनावों में चुनाव लड़ने वाले ट्रेड-यूनियन में से किसी एक द्वारा अनुरोधित प्रतीकों में से किसी एक का उपयोग किया गया था, तो उस विशेष प्रतीक के आवंटन में ट्रेड-यूनियन को वरीयता दी जा सकती है।

9/9/24 9.9.24 9/9/24

10.9 निर्वाचन अधिकारी प्रतीकों के आवंटन के संबंध में सभी मामलों में अंतिम प्राधिकारी होगा।

11.0 **मुद्रण**: मतपत्र गोपनीय तरीके से मुद्रित किया जाएगा। गोपनीय मुद्रण के उद्देश्य से आरआरबी/आरआरसी की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। यह सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रकार मुद्रित मतपत्र 'राजभाषा अधिनियम, 1963' के सुसंगत और प्रचलित प्रावधानों के अनुरूप हो।

11.1 मतपत्रों की छपाई संबंधित क्षेत्रीय रेल/उत्पादन इकाई के कर्मचारियों की संख्या के अनुसार अलग स्पष्ट क्रम संख्या के साथ की जाएगी। स्पष्ट क्रम संख्या केवल लेखात्मक उद्देश्यों के लिए कांउटरफॉइल पर उपलब्ध होगी।

11.2 इस प्रकार मुद्रित मतपत्रों की कुल संख्या और उनकी क्रम संख्या की सूचना चुनाव लड़ने वाले ट्रेड-यूनियन को दी जाएगी।

11.3 मतपत्र की प्रतिकृति को रेलवे प्रशासन द्वारा नोटिस बोर्डों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा और आधिकारिक वेबसाइटों पर समय से प्रकाशित/अपलोड किया जाएगा।

12.0 **मतदान सामग्री:** मतदान सामग्री की एक सूची **अनुलग्न-IV** के रूप में संलग्न है। सूची केवल मार्गदर्शन के लिए है। उपयोग की जाने वाली वास्तविक सामग्री स्थानीय आवश्यकता के अनुसार होगी।

13.0 **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले रेल सेवक:** उन्हें मतदान के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी|

13.1 यदि मतदाता अंधेपन/शारीरिक विकलांगता के कारण वोट देने में असमर्थ है तो उसे वोट डालने के लिए कम से कम 18 वर्ष की आयु का साथी साथ ले जाने की अनुमति होगी।

13.2 किसी मतदान केन्द्र पर किसी एक व्यक्ति को एक ही दिन में एक से अधिक मतदाताओं का साथी बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13.3 मतदाता के साथ आने वाले साथी को इस पत्र के **अनुलग्नक-V** के अनुसार एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि वह अपने द्वारा दर्ज किए गए मत को पूर्णतः गुप्त रखेगा तथा उसने उक्त उप-खंड 13.2 में निर्दिष्ट किसी अन्य

9/9/24 9.9.24 9/9/24

मतदाता के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है।

13.4 ऐसे मतदाताओं के साथी का घोषणापत्र रिकार्ड के लिए एक अलग लिफाफे में रखा जाएगा तथा मतदान समाप्ति पर उसे पीठासीन अधिकारी के पास संग्रहण केन्द्र में जमा कराया जाएगा।

13.5 कोई भी मतदान कर्मचारी उपरोक्त निर्दिष्ट श्रेणी के मतदाताओं के सहयोगी के रूप में कार्य नहीं करेगा।

13.6 जहां भी ऐसे रेल कर्मचारियों के मतदान करने की संभावना हो, वहां मतदान केन्द्र पर रैम्प की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

14.0 डाक मतपत्र प्रणाली (पीबीएस):

डाक मतपत्र की अनुमति केवल निम्नलिखित कोटियों के रेल सेवकों के लिए दी जाएगी जो (क) गुप्त मतदान चुनाव (एसबीई) ड्यूटी के लिए प्रतिनियुक्त/तैनात हैं; (ख) विभिन्न मंडलीय/क्षेत्रीय और अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम; (ग) गाड़ी रनिंग/ मार्गरक्षण ड्यूटी/टिकट जांच ड्यूटी वाले कर्मचारी, जिनके निर्धारित मतदान तिथियों के भीतर अपने मुख्यालय लौटने की संभावना नहीं है; और (घ) प्रतिनियुक्ति पर अपने संवर्ग के बाहर काम करने वाले रेल कर्मचारी।

15.0 डाक मतपत्र जारी करने, डालने और लेखाकरण के लिए सामान्य और कोटि-वार विशिष्ट प्रोटोकॉल **अनुलग्नक-VI** पर संलग्न है।

16.0 चुनाव प्रक्रिया:

16.01 अधिसूचना: एसबीईसी ने 30.08.2024 को चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित किया है। सभी भाग लेने वाली इकाइयों को इसे दोहराने के लिए कहा गया है। जैसा कार्यक्रम में घोषित किया गया है। इन तौर-तरीकों के अनुलग्नक-VII के अनुसार भाग लेने वाली इकाइयाँ दिनांक 10.09.2024 को विस्तृत चुनाव अधिसूचना जारी करेंगी। इस तरह की अधिसूचना को प्रमुख स्थानों पर नोटिस लगाकर और आधिकारिक वेबसाइटों पर प्रकाशित/अपलोड करके व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।

9/9/24 9.9.24 9/9/24

16.02 मतदान दिवस और समय: ओपन लाइन क्षेत्रीय रेलवे के सभी मतदाताओं के लिए मतदान दो दिन अर्थात 4 और 5 दिसंबर 2024 को होगा। बहरहाल, रनिंग स्टॉफ की तैनाती की प्रकृति को देखते हुए, जिसका निर्णय बहुत पहले नहीं लिया जा सकता है, तीसरे दिन, यानी 6 दिसंबर, 2024 के लिए आंशिक मतदान सुविधा केवल रनिंग स्टॉफ के लिए रखी जाएगी। यह ध्यान दिया जाए कि मतदाताओं की किसी अन्य कोटि को तीसरे दिन मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, भले ही वे पहले दो निर्दिष्ट दिनों में मतदान करने से चूक गए हों। नियंत्रण कार्यालय को यह सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी कि रनिंग स्टॉफ को मतदान के तीन दिनों में से किसी एक दिन के लिए छोड़ दिया जाए ताकि वे अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर मतदान कर सकें। मतदान प्रत्येक दिन 08.00 बजे से 18.00 बजे तक होगा। सभी मतदाता जो 18.00 बजे तक बूथ पर पहुंचते हैं, उन्हें अपना वोट डालने की अनुमति दी जानी चाहिए।

मेट्रो रेल कोलकाता, चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना और रेल डिब्बा कारखाना में 4 दिसंबर 2024 को केवल एक दिन का मतदान होगा।

16.03 चुनाव मशीनरी: चुनाव कराने के लिए प्राधिकरण की संरचना और मशीनरी निम्नानुसार है:

16.04 गुप्त मतदान चुनाव समिति (एसबीईसी) - जैसा रेलवे बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया है- चुनावों के संचालन और पर्यवेक्षण के लिए नोडल निकाय होगा।

16.05 क्षेत्रीय रेल/उत्पादन इकाई पर संबंधित 'प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारियों' ((प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी अर्थात् प्रधान विभागाध्यक्ष अथवा मुख्य विभागाध्यक्ष अथवा जो भी प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी के पद के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो) की समग्र देखरेख में गुप्त मतदान चुनाव आयोजित किया जाएगा और गुप्त मतदान चुनाव समिति द्वारा संबंधित क्षेत्रीय रेलवे/ उत्पादन इकाई के लिए "रिटर्निंग ऑफिसर" (आरओ) के रूप में नामित किया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर की सहायता एक "अतिरिक्त रिटर्निंग अधिकारी" (एआरओ) द्वारा की जाएगी जो संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाई स्तर पर वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/वरिष्ठ ग्रेड का अधिकारी होगा।

9/9/24 9.9.24 9/9/24

16.06 क्षेत्रीय मुख्यालय/उत्पादन इकाई मुख्यालय/मंडलीय/कारखाना/अतिरिक्त-मंडलीय इकाई (ईडीयू) स्तर पर, रिटर्निंग ऑफिसर इनमें से प्रत्येक इकाई के लिए "पीठासीन अधिकारी" (पीओ) नियुक्त करेंगे। पीठासीन अधिकारी, या तो मुख्य कार्मिक अधिकारी/(मुख्यालय के लिए), या अपर मंडल रेल प्रबंधक (मंडलों के लिए), या मुख्य कारखाना प्रबंधक/कारखाना प्रमुख (कार्यशालाओं के लिए) और एक उपयुक्त वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर का अधिकारी (ईडीयू) के लिए हो सकते हैं। ये पीठासीन अधिकारी "सहायक पीठासीन अधिकारी" (वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी/मंडल कार्मिक अधिकारी/उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/अन्य कोई अधिकारी) नियुक्त करेंगे।

16.07 अपर मंडल रेल प्रबंधक/मुख्य कारखाना प्रबंधक/संबंधित ईडीयू के प्रमुख के उपलब्ध न होने की स्थिति में, रिटर्निंग ऑफिसर एक अन्य उपयुक्त वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति करेगा।

16.08 पीठासीन अधिकारियों के नियुक्ति पत्र **अनुलग्नक-VIII** में दिए गए प्रारूप के अनुसार होंगे।

16.09 पीठासीन अधिकारी मतदान टीम नियुक्त करेगा जिसमें मतदान अधिकारी (राजपत्रित अथवा वरिष्ठ अधीनस्थ) और उपयुक्त स्तरों के मतदान सहायक/मतदान हेल्पर शामिल होंगे।

16.10 मतदान टीमों का नियुक्तियों का पत्र **अनुबंध IX** में दिए गए प्रारूप के अनुसार होगा।

16.11 **केंद्रीय पर्यवेक्षक:** गुप्त मतदान चुनाव समिति संबंधित क्षेत्रीय रेल/उत्पादन इकाई के एचएजी/एनएफएचएजी/एसएजी अधिकारी के रैंक का अधिमानतः वरिष्ठ उप महाप्रबंधक जैसा कि पिछले चुनाव के दौरान किया गया था, एक केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा, केंद्रीय पर्यवेक्षक के लिए सिफारिश रिटर्निंग ऑफिसर के परामर्श से रेलवे/उत्पादन इकाई के महाप्रबंधक द्वारा की जा सकती है। गुप्त मतदान चुनाव समिति को रिपोर्ट करने वाले केंद्रीय पर्यवेक्षक उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को स्वतंत्र परामर्श प्रदान करेंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षक के पास कोई कार्यकारी कार्य नहीं होगा, लेकिन शिकायतें प्राप्त करेंगे और उन्हें अपनी टिप्पणियों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को अग्रेषित करेंगे।

16.12 **नामांकन दाखिल करना:** इन कार्य-रीतियों के खंड 1 में सूचीबद्ध

9/9/24 9.9.24 9/9/24

योग्यता पात्रता को पूरा करने वाले और चुनाव लड़ने की इच्छुक ट्रेड यूनियन अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार **अनुलग्नक-X** (संबंधित क्षेत्रीय रेलवे/ उत्पादन इकाई के रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त किया जाए) के अनुसार नामांकन फॉर्म में आवेदन कर सकती हैं।

16.13 नामांकन दस्तावेजों में निम्नलिखित दस्तावेज तथा ट्रेड यूनियन के महासचिव द्वारा की गई घोषणाएं शामिल होनी चाहिए:

16.13.1 ट्रेड यूनियन का पूरा नाम, पता और टेलीफोन/मोबाइल नंबर;

16.13.2 रेलवे में पदनाम सहित केंद्रीय पदाधिकारियों के नाम और पते। नामांकन फार्म के साथ सूची संलग्न की जाए।

16.13.3 ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के खंड 9 के अनुसार ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार' द्वारा जारी ट्रेड यूनियन के "पंजीकरण प्रमाणपत्र" की एक प्रतिलिपि। संबंधित ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष या महासचिव द्वारा स्व-प्रमाणित होनी चाहिए। **[संदर्भ: खंड 1.2]**

16.13.4 लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, संबंधित ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार के समक्ष दायर वर्ष 2023 के लिए विधिवत रूप से अभिस्वीकृत "रिटर्न" [अर्थात ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार द्वारा अभिस्वीकृत] की एक प्रति। प्रतिलिपि संबंधित ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष/महासचिव द्वारा स्व-प्रमाणित होनी चाहिए। **[संदर्भ: खंड 1.5]**

16.13.5 संबंधित ट्रेड यूनियन के "नियम" (चाहे किसी भी नाम से जाना जाए जैसे उपनियम आदि) की एक प्रति, जो संबंधित ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष या महासचिव द्वारा स्व-प्रमाणित हो। **[संदर्भ: खंड 1.7]**

16.13.6 31.12.2023 तक देय कार्यालय किराया, बिजली, टेलीफोन और पानी के कारण सभी बुनियादी शुल्कों/बिलों का भुगतान करने के लिए संबंधित रेलवे विभागों से "नो-ड्यूज सर्टिफिकेट"। **[संदर्भ: खंड 1.8]**

16.13.7 एक ट्रेड यूनियन धारा 1.9 के संदर्भ में एक हलफनामा प्रस्तुत करेगा। **[संदर्भ: 1.9]**

16.13.8 ओपन लाइन क्षेत्रीय रेलवे के लिए (i) ₹ 50,000/- (पचास हजार मात्र) तथा (ii) मेट्रो रेलवे, रेल डिब्बा कारखाना और चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना के लिए ₹ 40,000/- (चालीस हजार मात्र) की वापसी योग्य सुरक्षा जमाराशि नामांकन पत्रों के साथ, या तो (ए) संबंधित क्षेत्रीय रेलवे/ उत्पादन

9/9/24 9.9.24 9/9/24

इकाई के प्रधान वित्त सलाहकार/वित्त सलाहकार और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पक्ष में तैयार डिमांड ड्राफ्ट या (बी) संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के रोकड़ कार्यालय से प्राप्त धन रसीद नामांकन फॉर्म के साथ संलग्न की जानी चाहिए। **[संदर्भ: खंड 1.10]**

16.13.9 यह घोषणा कि वह "अनुशासन संहिता" का पालन करेगा। **[संदर्भ: खंड 6.2]**

16.13.10 ट्रेड यूनियन के महासचिव द्वारा एक घोषणा कि उन्होंने गुप्त मतदान चुनाव-III के आयोजन के लिए लागू अंतिम कार्य-रीतियों को पढ़ एवं समझ लिया है और यह कि ये सभी ट्रेड यूनियन को पूरी तरह से स्वीकार्य हैं।

16.13.11 ट्रेड यूनियन के महासचिव द्वारा एक घोषणा कि उक्त ट्रेड यूनियन ने धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग या देश के कानून के तहत निषिद्ध किसी अन्य आधार के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया है। **[संदर्भ: धारा 6.5.1]**

16.13.12 ट्रेड यूनियन के महासचिव द्वारा एक घोषणा कि ट्रेड यूनियन द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी सही है और गलत पाए जाने की स्थिति में, सक्षम प्राधिकारी उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

16.13.13 सात रेल कर्मचारियों के हस्ताक्षर जो संबंधित ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं, जिनके नाम, पदनाम और तैनाती स्थान का उल्लेख ट्रेड यूनियन द्वारा नामांकन दाखिल करने के समर्थन में है।

16.13.14 एक घोषणा जिसमें उनके द्वारा चुना गया 'सूचक' धारा 10 में उल्लिखित पारिस्थिति को पूरा करती है।

16.13.15 यह घोषणा कि गुप्त मतपत्र चुनाव-III में भाग लेकर वह गुप्त मतदान के परिणाम को बिना शर्त स्वीकार करता है और यह महाप्रबंधक द्वारा दी जाने वाली "मान्यता" के प्रयोजनों के लिए बाध्यकारी होगा।

16.13.16 इस गुप्त मतदान चुनाव-III में भागीदारी भाग लेने वाली ट्रेड यूनियन इन नियम एवं शर्तों और कार्य-रीतियों सहित रेलवे बोर्ड/प्रशासन द्वारा जारी संबंधित निदेश जो स्वत: स्पष्ट है, बिना किसी शर्त स्वीकार करता है। **[संदर्भ: खंड 6.1]**

16.14 नामांकन की जांच: रिटर्निंग अधिकारी ट्रेड यूनियन से प्राप्त नामांकन की जांच करेगा। पात्र पाए जाने वाली ट्रेड यूनियन गुप्त मतपत्र चुनाव-III को अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार तैयार एवं प्रदर्शित की जाएगी।

16.15 नामांकन की अस्वीकृति: यदि किसी भी ट्रेड यूनियन को अयोग्य पाया जाता है (अर्थात् जिसका नामांकन अस्वीकृत कर दिया जाता है) तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा

9/9/24 9.9.24 9/9/24

आदेश पारित करके इसके कारणों की जानकारी दी जाएगी, ताकि वे निर्धारित समय के भीतर अपना अभ्यावेदन (यदि कोई हो) प्रस्तुत कर सकें। ऐसे अभ्यावेदनों पर रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय अंतिम होगा।

16.16 नामांकन वापस लेना: गुप्त मतपत्र चुनाव-III में चुनाव लड़ने के लिए पात्र घोषित किए गए ट्रेड यूनियन को संबंधित ट्रेड यूनियन के महासचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन देकर चुनाव से हटने की अनुमति है, जो अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार निर्दिष्ट तिथि और समय पर या उससे पहले रिटर्निंग अधिकारी के पास पहुंचना चाहिए। ऐसे आवेदन पर रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

16.17 मतदान केंद्र: पीठासीन अधिकारियों को निर्वाचन अधिकारी के समग्र पर्यवेक्षण के तहत कार्य-रीतियों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकार क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले मतदान केंद्रों की संख्या और स्थान निर्धारित करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा। प्रशासनिक सम्बंधित आवश्यकताओं/बाध्यताओं और मतदाताओं के बीच एक इष्टतम संतुलन बनाकर बूथों का निर्धारण किया जाएगा। निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखा जाए:

16.17.1 प्रत्येक मतदान केंद्र पर लगभग 700-800 मतदाता।

16.17.2 जंहा तक संभव हो, वोट देने के संदर्भ में मतदाता को 20-25 किमी से अधिक तक यात्रा नहीं करनी पड़े।

16.17.3 निर्वाचन अधिकारी और पीठासीन अधिकारी उपयुक्त अधिकारियों के साथ आवश्यक परामर्श करेंगे और मतदान केंद्रों की संख्या एवं स्थान की पहचान करेंगे।

16.17.4 संवेदनशील बूथ: रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी ऐसे बूथों की पहचान कर सकते हैं जो संवेदनशील प्रकृति के हैं, जिन पर सुरक्षा तैनाती और अन्य सावधानियों के माध्यम से अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। जब कभी कहा जाए, ऐसे संवेदनशील बूथों की सूची मांगे जाने पर निर्धारित प्रारूप में गुप्त मतदान समिति को अवगत कराया जाएगा।

16.17.5 प्रत्येक मतदान केन्द्र की देखरेख एक मतदान अधिकारी के अधीन दो मतदान सहायकों और दो मतदान हेल्परों की टीम द्वारा की जाएगी।

16.17.6 मतदान केंद्र उन इमारतों के नजदीक स्थापित होंगे जहां रेल अधिकारी सामान्य रूप से कार्य करते है। चुनाव के दिनों में मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी भी मतदाता को प्रभावित या प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी। मतदान केन्द्रों को रेलवे कार्यालय परिसर के अन्दर ही केंद्रों को स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

16.17.7 मतदान केन्द्रों में बैरियर लगाकर प्रवेश और निकास को अलग किया जाना चाहिए।

9/9/24 9.9.24 9/9/24

16.17.8 मतदान केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए, जिनमें रिकॉर्डिंग की सुविधा हो जिसे रेलवे/उत्पादन इकाई के सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग द्वारा लगाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे इस तरह से लगाए जाने चाहिए कि बूथ के आसपास और अंदर की सभी गतिविधियों को कैद किया जा सके, सिवाय उस स्थान के जहां मतदाता द्वारा वास्तविक वोट डाला जाता है। बहरहाल, मतदान केन्द्र के ऊपर मतदाता की तस्वीर कैद करना स्वीकार्य है।

16.17.9 महिला मतदाताओं के लिए सभी मतदान केन्द्रों पर आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए।

16.17.10 मतदान केन्द्र इस प्रकार स्थापित किया होना चाहिए कि मतदाता द्वारा मतदान के गुप्त भाग को छोड़कर सम्पूर्ण प्रक्रिया मतदान एजेंटों को उनकी सीटों से पूरी तरह दिखाई दे।

16.17.11 मतदान केंद्र के अन्दर मतदाता, मतदान एजेंट, मतदान सहायक और मतदान हेल्पर, किसी को भी स्मार्टफ़ोन/मोबाइल फ़ोन/कैमरा के उपयोग करने की अनुमति नहीं है। मतदान के संचालन से सम्बंधित अति आवश्यक होने पर ही केवल मतदान अधिकारी को ही स्मार्ट फ़ोन/मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने का अधिकार है।

16.17.12 सभी पात्र मतदाताओं को मतदान केंद्र में प्रवेश करने से पहले अपने मोबाइल फोन/स्मार्ट फोन/कैमरा बाहर छोड़ देना चाहिए क्योंकि इन उपकरणों को मतदान केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। इस आशय का नोटिस मतदान केंद्रों के बाहर और अंतिम मतदाता सूची में भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

16.18 मतदान एजेंट: प्रत्येक चुनाव लड़ने वाली ट्रेड यूनियन प्रत्येक मतदान बूथ के लिए दो मतदान एजेंट (जिनमें से एक समय में केवल एक ही मतदान बूथ पर उपस्थित हो सकता है) को नामित करेगी। मतदान एजेंट संबंधित क्षेत्रीय रेल/उत्पादन इकाई के नियमित रेल सेवक होने चाहिए। इन मतदान एजेंटों को अपनी पहचान साबित करने के लिए अपना पहचान प्रमाण साथ रखना होगा।

16.19 मतदान शुरू होने से पहले इन एजेंटों को खाली मतपेटियां दिखाई जाएगी और उनकी मौजूदगी में मतपेटियां बंद कर सील की जाएगी। मतदान अधिकारी मतपेटियों को बंद करने और सील करने के साक्षी के रूप में मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे। मतदान एजेंट पूरे मतदान के दौरान मौजूद रह सकते हैं। बहरहाल, उनकी अनुपस्थिति/देरी से आना चुनाव/मतदान प्रक्रिया को नहीं रोक सकेगी।

16.20 किसी भी मतदान केन्द्र के 'मतगणना एजेंटों' द्वारा सीलबंद मतपेटी पर मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर को न पहचान पाने की स्थिति से बचने के लिए, मतदान केन्द्रों को सभी मतदान केन्द्रों के लिए अपने मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर के नमूने पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध कराने होंगे।

9/9/24 9.9.24 9/9/24

16.21 प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले ट्रेड यूनियन के दो मतदान एजेंट, मतदान के प्रत्येक दिन प्रति बूथ, "विशेष आकस्मिक अवकाश" के लिए पात्र होंगे।

16.22 मतदान दल और उनकी जिम्मेदारियां: मतदान प्रक्रिया का पर्यवेक्षण मतदान अधिकारी करेंगे, जिनकी सहायता मतदान सहायक/मतदान हेल्पर करेंगे। कार्मिक निरीक्षक/कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक तथा अन्य निरीक्षण/अनुसचिवीय कर्मचारी आदि के रूप में कार्यरत रेल सेवकों को मतदान सहायक के रूप में तैनात किया जाएगा। इन मामलों में पीठासीन अधिकारियों को पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त होगा।

16.23 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदान अधिकारी/मतदान सहायक किसी भी चुनाव लड़ने वाली ट्रेड यूनियन के वर्तमान पदाधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं।

16.24 इसके अलावा, कोई भी अधिकारी जो पिछले छह वर्षों के दौरान किसी मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन का पदाधिकारी रहा हो, उसे मतदान अधिकारी/मतदान सहायक/मतदान हेल्पर के रूप में तैनात नहीं किया जाएगा। मतदान अधिकारी/मतदान सहायक/मतदान हेल्पर के रूप में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी से इस आशय का घोषणापत्र अनुलग्नक-XI में लिया जाएगा।

16.25 बहरहाल, यदि मतदान ड्यूटी के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारी उपलब्ध नहीं हों, तो पीठासीन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी के परामर्श से, उपर्युक्त शर्त में छूट देते हुए ऐसे अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है।

16.26 प्रत्येक मतपत्र ऊपर की तरफ मतदान अधिकारी के द्वारा स्याही में हस्ताक्षरित होना चाहिए।

16.27 मतदान दल मतदान केन्द्र को इस तरह से स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा जिससे मतदाताओं को मतदान की बारी का इंतजार करते समय असुविधा न हो और वास्तविक मतदान प्रक्रिया के लिए उचित गोपनीयता बनी रहे। मतदान एजेंटों के लिए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।

16.28 मतदान के लिए अल्प अवकाश/अनुमति: रेल सेवकों को मतदान करने के लिए अल्प अवकाश अवश्य दिया जाना चाहिए। प्रभारी नियंत्रक पर्यवेक्षक प्रभारी यह तय करेगा कि रेल सेवकों को मतदान करने और ड्यूटी पर लौटने के लिए कितनी अवधि का अल्प अवकाश पर्याप्त होना चाहिए। बहरहाल, यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है कि महत्वपूर्ण और संवेदनशील रेल संचालन कार्य प्रभावित न हो।

16.29 प्रभारी पर्यवेक्षक प्रभारी स्थानीय परिस्थितियों और आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए ट्रैक स्टाफ, निर्माण स्टाफ और "ट्रैक मशीन संगठन" स्टाफ तथा विभिन्न

9/9/24 9.9.24 9/9/24

श्रेणियों के सभी आवश्यक कर्मचारियों के लिए अल्प अवकाश की अवधि तय करेंगे। रेलवे बोर्ड उन मतदाताओं के लिए विशेष पास के प्रावधानों के बारे में अलग से आदेश जारी करेगा जिन्हें वोट डालने के लिए ट्रेन से यात्रा करनी है।

16.30 वोट डालने की प्रक्रिया: मतदान के समय, मतदान सहायक सर्वप्रथम इन कार्य-रीतियों की धारा 4.4 और 4.5 के अनुसार मतदाता की फोटोयुक्त पहचान पत्र की सहायता से उस कर्मचारी की पहचान स्थापित करेगा।

16.31 इसके बाद, वह मतदाता सूची की मास्टर कॉपी से मतदाता का नाम काटेगा और मतदाता की बाईं तर्जनी पर अमिट स्याही/अमिट स्याही मार्कर पेन से निशान लगाएगा और उसे मतदान अधिकारी से "गुप्त मतपत्र" प्राप्त करने के लिए कहेगा। वह मतदाता को मुहर लगाने के बाद मतपत्र को मोड़ने का तरीका भी सिखाएगा/दिखाएगा।

16.32 मतदान अधिकारी मतदाता के पहचान पत्र की पुनः जांच करके उसकी पहचान के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगा। वह मतपत्र के पीछे की ओर अपने हस्ताक्षर करने के पश्चात मतपत्र के काऊंटर फॉयल के क्रमानुसार (किसी भी मतपत्र को छोड़े बिना) एक मतपत्र सौंपेगा। मत डालने वाले रेल कर्मचारी के हस्ताक्षर भी मतपत्र के काऊंटर फॉयल पर प्राप्त किए जाएंगे।

16.33 इसके बाद, रेल सेवक मतपत्र पर मुहर लगाकर अपना वोट डालेगा। इस उद्देश्य के लिए मतदान केंद्र में रखे गए एक अलग बाड़े में मुहर लगाई जानी चाहिए। मतदाता मतपत्र को मोड़कर मतदान अधिकारी/मतदान सहायक की मौजूदगी में मतपेटी में डालेगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि मतपत्र ठीक से मतपेटी में डाला गया है।

16.34 मतपत्र में मुहर लगाने के लिए कोई अलग स्थान/कॉलम नहीं दिया जा रहा है क्योंकि यदि कोई लापरवाह मतदाता दिए गए स्थान/कॉलम पर मुहर लगाने के स्थान पर अनजाने में यूनियन के प्रतीक या नाम पर मुहर लगा देता है तो इससे मत अमान्य हो सकता है। इसलिए, कोई भी मतदाता मतपत्र में किसी भी एक ट्रेड यूनियन के सामने पांच कॉलमों ('क्रम सं.' स्तंभ सहित) में से किसी पर भी मुहर लगा सकता है।

16.35 चुनाव कार्यवाही का रिकॉर्ड: प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें चुनाव/मतदान के दौरान की गई पूरी कार्यवाही दर्ज की जाएगी। ऐसी प्रविष्टियों पर संबंधित मतदान अधिकारी और संबंधित चुनाव लड़ने वाली ट्रेड यूनियन पर उपस्थित मतदान एजेंटों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। रजिस्टर का प्रारूप अलग से बताया जाएगा।

16.36 पुनर्मतदान: यदि किसी चुनाव लड़ने वाले ट्रेड यूनियन या किसी विश्वसनीय स्रोत से किसी मतदान केंद्र पर पर्याप्त चुनावी अव्यवस्था के बारे में शिकायत प्राप्त होती है, तो पीठासीन अधिकारी तत्काल तथ्य अन्वेषण जांच (एफएफआई) करेगा। तथ्य अन्वेषण जांच रिपोर्ट के आधार पर और रिटर्निंग अधिकारी के साथ परामर्श करने के

9/9/24 9.9.24 9/9/24

बाद, पीठासीन अधिकारी अगले दिन यानी 5 दिसंबर 2024 को उक्त मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान कराने का आदेश दे सकता है। बहरहाल, यदि मतदान के दूसरे/तीसरे दिन (यानी 5/6 दिसंबर 2024) अव्यवस्था देखी जाती है, तो पुनर्मतदान अधिसूचित तिथि यानी 10 दिसंबर, 2024 को किया जाएगा।

16.37 पुनर्मतदान के इस निर्णय की सूचना उन सभी इकाइयों के नियंत्रक अधिकारियों को दी जाएगी जिनके लिए बूथ स्थापित किए गए थे। नियंत्रक अधिकारियों को बदले में तुरंत नोटिस लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए और मतदाताओं को फिर से मतदान करने की छूट देनी चाहिए। पुनर्मतदान के अंतर्गत आने वाली ऐसी सभी इकाइयों के नियंत्रक पर्यवेक्षक प्रभावित मतदाताओं के बीच पुनर्मतदान कार्यक्रम की जानकारी फैलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल सुविधाओं का उपयोग करेंगे।

16.38 पुनर्मतदान के लिए, यदि उपलब्ध हो तो अप्रयुक्त मतपत्रों का उपयोग किया जाए। यदि, इनकी संख्या अपर्याप्त पाए जाने पर तो रिटर्निंग अधिकारी से अतिरिक्त मतपत्र मंगवाए जा सकते हैं।

16.39 मतदान समाप्ति: मतदान समाप्ति के पश्चात, मतदान अधिकारी निर्धारित प्रपत्र में विस्तृत मतपत्र लेखा (बाद में सूचित किया जाएगा) पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जिसमें कुल प्राप्त मतपत्र, प्रयुक्त मतपत्र, उपलब्ध अप्रयुक्त मतपत्र आदि का विवरण होगा।

16.40 इसके बाद सीलबंद मतपेटियों को एकत्रित किया जाएगा और पूरी सुरक्षा के साथ पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर ले जाया जाएगा, जो इन मतपेटियों को अपने कब्जे में ले लेगा।

17.0 मतपेटियों का भंडारण और सुरक्षा: मतदान के दिन मतदान होने के बाद, मतपेटियों को मतदान अधिकारी, उपस्थित ट्रेड यूनियन के मतदान एजेंटों और नामित सुरक्षा प्रभारी के हस्ताक्षर प्राप्त करके विधिवत सील किया जाना चाहिए। इसके बाद, इसे एक स्ट्रांग रूम में संग्रहीत किया जाना चाहिए, जिसके बारे में पहले से ही चुनाव लड़ने वाले यूनियनों को सूचित किया जाना चाहिए। मतदान के प्रत्येक दिन के अंत में, बक्से को स्ट्रांग रूम में रखना और सील करना आवश्यक है। स्ट्रांग रूम को पीठासीन अधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी, रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल स्टाफ और मतदान एजेंटों (इस उद्देश्य के लिए ट्रेड यूनियनों द्वारा नामित) के हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद सील किया जाना चाहिए। मतदान के अंत में, इन मतपेटियों को उचित सुरक्षा के तहत पीठासीन अधिकारी द्वारा पहचाने गए और अधिसूचित मतगणना केंद्र पर ले जाया जाना चाहिए।

18.0 मतपेटियों का परिवहन और सुरक्षा: उचित रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल

9/9/24 9.9.24 9/9/24

गार्डों के साथ और जिम्मेदार रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी में इन बक्सों को प्रमुखतः सड़क मार्ग से ले जाने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए। बहरहाल, अगर रेलगाडियों द्वारा मतपेटियों को ले जाने की आवश्यकता महसूस होती है, तो रेल अधिकारियों को रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल गार्डों और नामित रेल अधिकारियों की सुरक्षा में रेलगाड़ी द्वारा उनके परिवहन के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। यदि ट्रेन की आवाजाही के दौरान ट्रांसशिपमेंट की आवश्यकता होती है, तो किसी भी समय मतपेटियों को प्लेटफॉर्म या स्टेशन की इमारतों में अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मतपेटियों के लिए यात्रा योजना ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों के साथ साझा की जानी चाहिए और यदि वे चाहें तो वे किसी भी तरह से मतपेटियों की आवाजाही में हस्तक्षेप किए बिना मतपेटियों को ले जाने वाली टीम के साथ जा सकते हैं।

19.0 वोटों की गिनती: पीठासीन अधिकारी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मतदान केंद्रों से सभी मतपेटियों को पूर्व-अधिसूचित स्थान पर लाया और संग्रहीत किया जाएगा। मतों की गणना निर्धारित तिथि पर पीठासीन अधिकारी द्वारा पहचान और अधिसूचित केंद्रीकृत स्थान पर की जानी चाहिए। मतपेटियों को नीचे दिए गए निर्धारित निर्देशों के अनुसार खोला जाना चाहिए। मतपेटियों को खोलने के बाद, प्रत्येक बॉक्स में कुल मतों की संख्या का मिलान मतदान अधिकारी के रिकॉर्ड के अनुसार मतपत्रों की संख्या से किया जाएगा। मतों की गिनती शुरू होने से पहले, सभी बक्सों से मतपत्रों को खोलकर एक साथ मिला दिया जाना चाहिए। बूथ-वार गिनती नहीं की जानी चाहिए।

19.1 ट्रेड यूनियन के पीठासीन अधिकारी और "अधिकृत गिनती एजेंट" की उपस्थिति में मतपत्रों को खोला जाना चाहिए।

19.2 पीठासीन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी अधिकृत गिनती एजेंट की संख्या को निर्धारित करेंगे जो पर्याप्त होनी चाहिए। अधिकृत गिनती एजेंट के नाम प्रतिभागी ट्रेड यूनियन द्वारा अनुशंसित होने चाहिए।

19.3 यदि मतगणना के समय अधिकृत गिनती एजेंट निर्धारित समय व स्थान पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो ऐसी अनुपस्थिति से चुनाव या मतगणना प्रक्रिया अमान्य नहीं होगी तथा मतगणना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी।

19.4 पीठासीन/सहायक पीठासीन अधिकारी मतगणना दिवस पर मतगणना हेतु सहायक निर्वाचन अधिकारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान करेंगे।

19.5 पीठासीन अधिकारी चुनाव परिणाम (बाद में भेजा जाने वाला प्रारूप) संकलित करेंगे तथा जिम्मेदार रेलवे अधिकारी के माध्यम से उसे सीलबंद लिफाफे में रिटर्निंग अधिकारी को सौंपने की व्यवस्था करेंगे।

19.6 अमान्य मत: मतपत्र/मत तब अमान्य माना जाएगा जब (i) एक से अधिक ट्रेड

यूनियन/प्रतीक के विरुद्ध मोहर लगाया गया हो; (ii) मोहर को विभाजन रेखा (पंक्तियों या स्तंभों की) पर इस तरह लगाया गया हो कि मोहर का दो-तिहाई से कम निशान किसी एक ट्रेड यूनियन/प्रतीक के विरुद्ध बना हो। इस प्रकार, यदि मोहर इस तरह लगाया गया हो कि मोहर का दो-तिहाई से अधिक हिस्सा किसी एक प्रतीक/ट्रेड यूनियन के नाम या उसकी पंक्ति पर पड़ता हो, तो इसे वैध माना जाएगा; (iii) मतपत्र में कोई संकेत (मोहर के अलावा) जैसे मतदाता का नाम, उसका हस्ताक्षर या लिखित संदेश आदि शामिल हो; (iv) इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

20.0 चुनाव रिपोर्ट: पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और प्रमाणित एक बयान, मतगणना के दिन ही रिटर्निंग अधिकारी को फैक्स/या विशेष संदेशवाहक के माध्यम से सीलबंद लिफाफे में भेजी जाएगी। रिपोर्ट का प्रारूप बाद में बताया जाएगा।

21.0 अप्रयुक्त मतपत्र पेपर: अप्रयुक्त मतपत्र पेपर भी मतदान के अंतिम दिन पीठासीन अधिकारी के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी को रखने 2)माह तक के लिएएवं रिकार्ड (के लिए अग्रेषितकिए जाएंगे.

21.1 अंतिम परिणाम की घोषणा: सभी सीलबंद लिफाफे (पोस्टल बैलेट के मामले में पीठासीन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी से चुनाव रिपोर्ट युक्त) निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव लड़ने वाले ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों (जो भी उपलब्ध हो) की उपस्थिति में खोले जाएंगे। किसी की अनुपस्थिति के कारण इस प्रक्रिया में देरी नहीं की जा सकती है) "अंतिम चुनाव परिणाम" तैयार करने और संकलित करने के लिए (प्रोफ़ॉर्मा बाद में भेजा जाएगा)। इसके बाद, चुनाव का परिणाम तदनुसार घोषित किया जाएगा।

21.2 चुनाव/मतगणना से संबंधित कोई विवाद/प्रतिवेदन, यदि कोई हो, तो उसे परिणाम घोषित होने से पहले रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उठाया जाना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इसकी जांच की जाएगी और रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

22.0 कार्य-रीतियों आदि पर स्पष्टीकरण जारी करने का प्राधिकार: इन कार्य-रीतियों के समग्र ढांचे के भीतर, गुप्त मतपत्र चुनाव समिति या रिटर्निंग अधिकारी को इन कार्य-रीतियों की अंतर्निहित भावना और सिद्धांतों को बदले बिना, प्रशासनिक सुविधा में आवश्यक स्पष्टीकरण, प्रशासनिक निर्देश जारी करने का अधिकार होगा।

****

9/9/24 9.9.24 9/9/24

सत्यमेव जयते

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं.2024/एसबीईसी-III/इलेक्शन्स   दिनांक: 10.9.2024

महाप्रबंधक
सभी क्षेत्रीय रेलें (ओपन लाइन)
मेट्रो रेलवे, कोलकाता
उत्पादन इकाइयां (चितरंजन रेलइंजन कारखाना एवं रेल डिब्बा कारखाना)

विषय: गुप्त मतपत्र चुनाव-III के लिए दिनांक 09.09.2024 की सं.2024/एसबीईसी-III/इलेक्शन्स के तहत जारी की गई 'अंतिम कार्यरीतियों' के लिए शुद्धि पत्र सं.1

अंतिम कार्यरीतियों की धारा 22 के उपबंधों केअनुसार,गुप्त मतपत्र चुनाव समिति ने 'अंतिम कार्यरीतियों' में निम्नलिखित आशोधन अनुमोदित किए हैं:

I.मेट्रो रेलवे कोलकाता की मतदाता सूची में मेट्रो रेलवे कोलकाता के सभी प्रतिनियुक्त मोटरमैनों को शामिल करना: डाक मतपत्र प्रणाली में अनुलग्नक VI के भाग-II की धारा 10 (ख) के अनुसार,धारणाधिकार रेलवे के बाहर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रेल सेवकों के लिए डाक मतपत्र प्रणाली की सुविधा प्रावधान किया गया है, ताकि वे अपने धाराणाधिकार रेलवे में मतदान कर सकें।मेट्रो रेलवे कोलकाता के अधिकांश मोटरमैन मूल रूप से अन्य रेलों जैसे पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे आदि से हैं और लंबे समय से मेट्रोरेलवेमें कार्यरत हैं। मेट्रो रेलवे, कोलकाता ने दिनांक 06.08.2024 के अपने एमआरटीएस/ई.326/सीक्रेट बेलेट/भाग-IIIके तहत,ऐसेमतदाताओं कोउनकी धारणाधिकार रेलवे में नहीं बल्कि मेट्रो रेलवे, कोलकाता की मतदाता सूची में शामिल करने का औचित्य दिया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि 2013 के चुनाव में भी ऐसे मोटरमैनों ने मेट्रो रेलवे में ही मतदान किया था।

महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे का प्रस्ताव है किइस बार भी मोटरमैन के लिए 2013 के चुनावों में अपनाए गए प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। इस पर विचार करते हुए, गुप्त मतपत्र चुनाव समिति केवल मेट्रो रेलवे के मोटरमैन को ही उस संगठन में मतदान करने की अनुमति देने हेतुसहमत है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, 'अंतिम कार्यरीतियों'के अनुलग्नक Vके भाग-IIकी धारा 10 (ख) के अंत में निम्नलिखित पंक्तियां जोड़ी जाएं:

> "बहरहाल, जहां तक मेट्रो रेलवे, कोलकाता में प्रतिनियुक्त मोटरमैन का संबंध है, वे मेट्रो रेलवे में ही मतदान करने के पात्र होंगे। अतः ऐसे रेल सेवकों की धारणाधिकार रेलवे द्वारा इन मोटरमैनों को अपनी मतदाता सूची में शामिल न किया जाए। मेट्रो रेलवे द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए धारणाधिकार रेलवे के साथ समन्वय किया जाए।

II.ट्रेड यूनियनों को सुविधाएं:(क) अंतिम कार्यरीतियों की धारा 7.0 और अनुलग्नक IIIको (i) रेलवे बोर्ड के दिनांक 30.8.2024 के पत्र संख्या 2023/एसबीईसी-III/पॉलिसी/1 के तहत मान्यताप्राप्त यूनियनों को उपलब्ध फ्रीजिंग सुविधाओं केप्रावधानों के साथ-साथ (ii)इस विषय पर 2013 के चुनावों में अपनाए गए प्रावधानों के समान आशोधित किया गया है।

अतः, अंतिम कार्यरीतियों की मौजूदा धारा 7.0 को निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"धारा 7.0: चुनाव में भाग लेने वाली ट्रेड यूनियनों हेतु समान और निष्पक्ष अवसर": मौजूदा मान्यताप्राप्त ट्रेड यूनियनों को कतिपय सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इन चुनावों में चुनाव में भाग लेने वाली सभी ट्रेड यूनियनों को समान अवसर प्रदान करने के लिए, जिन ट्रेड यूनियनों के पास कोई रेलवे सुविधाएं/विशेषाधिकार हैं जैसे कि प्रेम [पूर्ववर्ती सीईजी योजना] के तहतनिशुल्क मुहैया कराए गए कार्यालय परिसर, कार्ड पास आदि को चुनावी उद्देश्यों के लिए इनका उपयोग करने से रोक दिया गया है। ट्रेड यूनियन प्रेम योजना के अंतर्गतदिए गए ऐसे परिसरों का उपयोग विज्ञापन या चुनाव संबंधी सामग्री के भंडारण के लिए नहीं करेंगी। इन परिसरों में चुनाव संबंधी कोई बैठक आयोजित नहीं की जाएगी।चुनाव में भाग लेने वाली यूनियन द्वारा एक शपथ-पत्र (अनुलग्नक-IIIके अनुसार) प्रस्तुत किया जाएगा कि वे उपरोक्त उद्देश्यों के लिए इन सुविधाओं का उपयोग नहीं करेंगे। "

(ख) तदनुसार, अंतिम कार्यरीतियों के अनुलग्नक IIIको निम्नानुसार आशोधित किया गया है:

<u>"अंतिम कार्यरीतियों के गुप्त मतपत्र चुनाव-IIIखंड 7के लिए अंतिम कार्यरीतियों का अनुलग्नक -III, 2024</u>

चुनाव में भाग लेने वाली ट्रेड यूनियनों द्वारा उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग न करने के संबंध में100 रु. मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर दिया जाने वाला शपथ-पत्र

(स्टाम्प पेपर पर यथा लागू निम्नलिखित विषय-वस्तु मुद्रित की जाए)

ट्रेड यूनियन रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी सुविधाजैसे कि प्रेम [पूर्ववर्ती सीईजी योजना] के तहत निशुल्क मुहैया कराए गए कार्यालय परिसर, कार्ड पास आदि का लाभ नहीं उठाने के लिए सहमत है। ट्रेड यूनियन इन सुविधाओं का उपयोग विज्ञापन या चुनाव संबंधी सामग्री के भंडारण के लिए नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त,इन परिसरों में चुनाव संबंधी कोई बैठक आयोजित नहीं की जाएगी।

अथवा

ट्रेड यूनियन के पास ऐसा कोई परिसर/सुविधा नहीं है।

(महासचिव का नाम और हस्ताक्षर)
ट्रेड यूनियन का नाम:

स्टाम्प/मोहर"

Sd/-

(राजीव गांधी)

कार्यपालकनिदेशकस्थापना/रेलभर्तीबोर्ड, रेलवेबोर्डएवंसंयोजक
गुप्त मतपत्र चुनाव-III

प्रतिलिपि प्रेषित:सभी संबंधित पीसीपीओ/रिटर्निंग अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

सत्यमेव जयते

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं.2024/एसबीईसी-III/इलेक्शन्स दिनांक: 13.9.2024

महाप्रबंधक
सभी क्षेत्रीय रेलें (ओपन लाइन)
मेट्रो रेल, कोलकाता
उत्पादन इकाइयां (चि.रे.का. एवं रे.डि.का)

विषय: गुप्त मतपत्र चुनाव-III के लिए दिनांक 09.09.2024 की सं.2024/एसबीईसी-III/इलेक्शन्स के तहत जारी की गई 'अंतिम कार्यरीतियों' के लिए शुद्धि पत्र सं. 2.

अंतिम कार्यरीतियों की धारा 22 के उपबंधों के अनुसार गुप्त मतपत्र चुनाव समिति ने 'अंतिम कार्यरीतियों' में निम्नलिखित आशोधन अनुमोदित किए हैं:

I. चुनाव में भाग ले रहीं ट्रेड यूनियनों के लिए नामांकन भरने की अवधि:

अंतिम कार्यरीतियों के पृष्ठ 8 (विस्तृत चुनाव कार्यक्रम) में मौजूदा क्रमांक 6 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

06.	चुनाव में भाग ले रहीं ट्रेड यूनियन द्वारा	01.10.2024(मंगलवार) से

	नामांकन भरने की अवधि	25.10.2024(शुक्रवार)

II. नामांकन भरने के लिए पुनरीक्षित अनुलग्नक-X :

अंतिम कार्यरीतियों के मौजूदा अनुलग्नक-X को यथा संलग्न नए अनुलग्नक-X से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। इस नए अनुलग्नक-X में 'चिह्नों के लिए आवेदन' को शामिल किया गया है।

III. निर्वाचित जन प्रतिनिधि द्वारा चुनाव प्रचार:

अंतिम कार्यरीतियों में धारा 6.5.7 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जा रहा है:

"6.5.7 निर्वाचित जन प्रतिनिधियों क निम्नलिखित मामलों के अलावा चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं है :

(क) जो चुनाव लड़ने वाली युनियनों में पदधारी हैं;
(ख) जो राष्ट्रीय संघों या केंद्रीय ट्रेड यूनियनों में पदधारी हैं, जिनसे चुनाव लड़ रही यूनियन संबद्ध हैं;
(ग) जो रेल सेवक रह चुके हैं।"

IV. मेट्रो रेल, कोलकाता के लिए पुनरीक्षित मतदान तिथियां:

दिनांक 9.9.2024 की अंतिम कार्यरीतियों के पृष्ठ 8 (विस्तृत चुनाव कार्यक्रम) में क्रमांक 14 और 15 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जा रहा है:

14.	ओपन लाइन क्षेत्रीय रेलों तथा मेट्रो रेल कोलकाता के लिए मतदान तिथियां	04.12.24 and 05.12.24 (बुधवार एवं गुरुवार)

15.	चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना एवं रेल डिब्बा कारखाना के लिए मतदान तिथि	04.12.2024 (बुधवार)

तदनुसार, धारा 16.02 का अंतिम वाक्य आशोधित किया गया है।

V. 6.5.16 के नीचे निम्नलिखित नई उप-धारा 6.5.17 जोड़ी जा रही है:

"6.5.17 आचार संहिता के ऐसे उल्लंघनों के लिए जिनके दंड अनुलग्नक-II में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, उन मामलों में निर्वाचन अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी के पास अनुशासन एवं अपील नियम/भारतीय न्याय संहिता के अनुसार आर्थिक दंड और/अथवा अनुशासनात्मक शास्ति लगाने की पूर्ण शक्तियां होंगी।

Sd/-

(राजीव गांधी)

कार्यपालक निदेशक/रेल भर्ती बोर्ड एवं संयोजक

गुप्त मतपत्र चुनाव-III

प्रतिलिपि अग्रेषित: सूचना एवं उचित कार्रवाई हेतु सभी संबंधित पीसीपीओ/निर्वाचन अधिकारी।

दिनांक 13.09.2024 के शुद्धि पत्र सं. 2 का संलग्नक

गुप्त मतपत्र चुनाव-III, 2024 के लिए अनुलग्नक - X

(अंतिम कार्यरीति की धारा 16.12)

गुप्त मतपत्र चुनाव-III के लिए नामांकन प्रपत्र

क्षेत्रीय रेल/उत्पादन इकाई :

1. ट्रेड यूनियन का नाम(टीयू) : ____________________

2. टीयू द्वारा प्रयुक्त संक्षिप्त रूप : ____________________

3. स्थानीय भाषा में संक्षिप्त रूप (यदि कोई हो) : ____________________

4. पंजीकरण सं. : ____________________

5. पंजीकरण की तिथि :(तिथि)____(माह)____(वर्ष)____

6. ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार का नाम और पता जहाँ यूनियन पंजीकृत है : ____________________

____

____

7. ट्रेड यूनियन का पूरा पता : ____________________

____

____

दूरभाष____________________

8. फेडरेशन का नाम (यदि संबद्ध हो) ____________________________

9. मैं एतदद्वारा यह घोषित करता हूँ कि मैंने गुप्त मतपत्र चुनाव-III के लिए अंतिम कार्यरीतियां, 2024 को पढ़ एवं समझ लिया है। मैं इसमें निहित अनुशासन संहिता तथा आचार संहिता का पालन करने के लिए सहमत हूँ। इसके अतिरिक्त, मैं यह घोषणा करता हूँ कि धारा 6.3, 10.6, 16.13.11, 16.13.12, 16.13.15 और 16.13.16 में लिखित शर्तों को पूरा करता हूँ तथा इनका पालन करने के लिए भी सहमत हूँ।

10.अंतिम कार्यरीतियों की सुसंगत धाराओं के अनुसार नामांकन पत्रों के साथ निर्धारित संलग्नक प्रस्तुत करने संबंधी जांच सूची :

	संलग्नक	**जो लागू है उसे चिह्नित करें**
1.	*धारा 1.2 के अनुसार "पंजीकरण प्रमाण-पत्र"*	हाँ/नहीं
2.	*धारा* 1.5 *के अनुसार "विवरणी"*	हाँ/नहीं
3.	*धारा* 1.7 *के अनुसार "ट्रेड यूनियन के नियम"।*	हाँ/नहीं
4.	*धारा* 1.8 *के अनुसार अदेयता प्रमाण-पत्र।*	हाँ/नहीं
5.	*धारा 1.9 के अनुसार शपथपत्र।*	हाँ/नहीं
6.	*धारा 1.10 के अनुसार प्रतिभूति जमा।*	हाँ/नहीं
7.	धारा 16.13.2 के अनुसार केंद्रीय पदाधिकारियों के रेल में उनके पदनाम सहित नाम और पते की सूची	हाँ/नहीं

8.	धारा 16.13.13 के अनुसार कम-से-कम सात रेलवे कर्मचारियों के हस्ताक्षर वाला संलग्नक।	हाँ/नहीं
9.	नीचे दिए गए प्रपत्र में और धारा 10 के अनुसार चिह्न के लिए आवेदन।	हाँ/नहीं

(महासचिव का नाम एवं हस्ताक्षर)

ट्रेड यूनियन का नाम:

मुहर:

नोट*:* पर ट्रेड युनियन के महासचिव द्वारा दोनों पृष्ठों हस्ताक्षर किए जाएं।

चिह्न के आवेदन हेतु प्रपत्र
मैं वरीयता क्रम में निम्नलिखित चिह्नों (चित्र संलग्न) के आबंटन हेतु आवेदन करता हूँ : (क) (ख) (ग) (घ)

(महासचिव का नाम एवं हस्ताक्षर)

ट्रेड यूनियन का नाम:

मुहर :

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं.2024/एसबीईसी-III/इलेक्शन्स — दिनांक: 19.09.2024

महाप्रबंधक
सभी क्षेत्रीय रेलें (ओपन लाइन)
मेट्रो रेलवे, कोलकाता
उत्पादन इकाइयां (चितरंजन रेलइंजन कारखाना एवं रेल डिब्बा कारखाना)

विषय: गुप्त मतपत्र चुनाव-III हेतु दिनांक 09.09.2024 की सं.2024/एसबीईसी-III/इलेक्शन्स के तहत जारी की गई 'अंतिम कार्य-रीतियों' के लिए शुद्धि पत्र सं. 3.

अंतिम कार्य-रीतियों की धारा 22 के उपबंधों के आधार पर, एसबीईसी ने चुनाव पार्टियों के संबंध में 'अंतिम कार्य-रीतियों' में धारा 16.22 के नीचे निम्नलिखित उपधारा 16.22.1 को सम्मिलित कर आशोधन की स्वीकृति दी है।

"16.22.1 मतदान दल को किसी भी चुनाव लड़ने वाली ट्रेड यूनियन के प्रति भय या पक्षपात महसूस किए बिना, अपने कार्य में बिल्कुल निष्पक्ष और गैर-पक्षपातपूर्ण होना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए मतदान दल का गठन यथासंभव विभिन्न कार्यालयों से अधिकारियों को नामित करके किया जाए।

किसी भी नियंत्रण पर्यवेक्षक/अधिकारी को ऐसे मतदान केंद्र पर मतदान अधिकारी की भूमिका नहीं सौंपी जाए जहां अधिकांश मतदाता उसके प्रत्यक्ष अधीनस्थ हों। उदाहरण हेतु, ओपन लाइन क्षेत्रीय रेलों पर, किसी सीनियर सेक्शन इंजीनियर (एसएसई/पीवे) को उस बूथ के लिए मतदान अधिकारी के रूप में नामित किया जाए, जहां मुख्य रूप से सिविल इंजीनियरी विभाग के अलावा अन्य विभागों के मतदाता मतदान के लिए सूचीबद्ध हैं। इसी प्रकार, मुख्य रूप से रेलपथ अनुरक्षक वाले मतदान बूथों के लिए, मतदान अधिकारी सिगनल एवं दूरसंचार/इलेक्ट्रिकल/अन्य विभाग से हो सकता है। इसी प्रकार, कार्यशालाओं/भंडार डिपो और उत्पादन इकाइयों में अनुभाग/कर्मशाला प्रभारियों को इस प्रकार चक्रित किया जाना चाहिए कि उन्हें ऐसे किसी अनुभाग/कर्मशाला में मतदान अधिकारी के रूप में तैनात किया जाए, जहां उनका सीधा नियंत्रण न हो।

Sd/-
(राजीव गांधी)
कार्यपालक निदेशक स्थापना/रेल भर्ती बोर्ड, रेलवे बोर्ड एवं संयोजक
गुप्त मतपत्र चुनाव-III

प्रतिलिपि प्रेषित: सभी संबंधित पीसीपीओ/रिटर्निंग अधिकारी के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं.2024/एसबीईसी-III/इलेक्शन्स दिनांक: 23.09.2024

महाप्रबंधक
सभी क्षेत्रीय रेलें (ओपन लाइन)
मेट्रो रेलवे, कोलकाता
उत्पादन इकाइयां (चितरंजन रेलइंजन कारखाना एवं रेल डिब्बा कारखाना)

विषय: गुप्त मतपत्र चुनाव-III हेतु दिनांक 09.09.2024 की सं.2024/एसबीईसी-III/इलेक्शन्स के तहत जारी की गई 'अंतिम कार्य-रीतियों' के लिए शुद्धि पत्र सं. 4.

अंतिम कार्य-रीतियों की धारा 22 के उपबंधों के अनुसार, गुप्त मतपत्र चुनाव समिति ने 'अंतिम कार्य-रीतियों' में निम्नलिखित आशोधन अनुमोदित किए हैं:

I. 'मतपेटी का भंडारण और सुरक्षा' के संबंध में धारा 17.0 में अंतिम वाक्य अशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"मतदान के अंत में, इन मतपेटियों को मतगणना केंद्रों तक पहुंचाया जाना चाहिए, जैसा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा चिह्नित और अधिसूचित किया गया है और पीठासीन अधिकारी द्वारा उचित सुरक्षा के तहत दोहराया गया है।

II. इसके अलावा, धारा 17.0 में उपरोक्त वाक्य के नीचे निम्नानुसार एक नया वाक्य जोड़ा जाए:
"सीसीटीवी कवरेज (i) सभी स्ट्रॉन्ग रूम/स्टोरेज पॉइंट्स जिन्हें भंडारण हेतु चिह्नित किया गया है, वहां मतपेटियों को मतदान से पूर्व (एक दिन पहले) और बाद में रखा जाना है, और (ii) सभी मतगणना केंद्रों जहां वोटों की गिनती की जानी है, प्रदान की जाएगी।"

III. इसलिए, उपरोक्त आशोधन/जोड़ को शामिल करते हुए, नई संशोधित धारा 17.0 को निम्नानुसार पढ़ा जाना चाहिए:

"**17.0 मतपेटियों का भंडारण और सुरक्षा:** मतदान के दिन मतदान होने के बाद, मतपेटियों को मतदान अधिकारी, उपस्थित ट्रेड यूनियन के मतदान एजेंटों और नामित सुरक्षा प्रभारी के हस्ताक्षर प्राप्त कर विधिवत सील किया जाना चाहिए। इसके बाद,

इसे एक स्ट्रांग रूम में संग्रहीत किया जाना चाहिए, जिसके बारे में पहले से ही चुनाव लड़ने वाली यूनियनों को सूचित किया जाना चाहिए। मतदान के प्रत्येक दिन के अंत में, बक्से को स्ट्रांग रूम में रखा जाना और सील करना आवश्यक है। स्ट्रांग रूम को पीठासीन अधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी, रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल स्टाफ और मतदान एजेंटों (इस उद्देश्य के लिए ट्रेड यूनियनों द्वारा नामित) के हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात सील किया जाना चाहिए। मतदान के अंत में, इन मतपेटियों को उचित सुरक्षा के तहत चुनाव अधिकारी द्वारा पहचाने एवं अधिसूचित और पीठासीन अधिकारी द्वारा बताए गए मतगणना केंद्र पर ले जाया जाना चाहिए। सीसीटीवी कवरेज (i) सभी स्ट्रॉन्ग रूम/स्टोरेज पॉइंट्स जिन्हें भंडारण हेतु चिह्नित किया गया है, वहां मतपेटियों को मतदान से पूर्व (एक दिन पहले) और बाद में रखा जाना है, और (ii) सभी मतगणना केंद्रों पर जहां वोटों की गिनती की जानी है, प्रदान की जाएगी।

Sd/-

(राजीव गांधी)

कार्यपालक निदेशक स्थापना/रेल भर्ती बोर्ड, रेलवे बोर्ड एवं संयोजक गुप्त मतपत्र चुनाव-III

प्रतिलिपि प्रेषित: सभी संबंधित पीसीपीओ/रिटर्निंग अधिकारी के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु